

इकाई-2 भाषा के विकास की युक्तियाँ

परिचय

उद्देश्य

1. द्विभाषावाद
2. बहुभाषावाद
3. मौखिक भाषा उपयोग के उपागम की युक्तियाँ
 - 3.1 मौखिक भाषा उपयोग के उद्देश्य एवं विशेषताएं।
 - 3.2 मौखिक भाषा उपयोग कौशल की आवश्यकता एवं महत्व।
 - 3.3 मौखिक भाषा उपयोग शिक्षण की विधियाँ।
 - 3.4 मौखिक भाषा उपयोग शिक्षण के साधन।
4. कहानी कहना।
 - 4.1 कहानी की परिभाषा।
 - 4.2 कहानी कहने के तत्व।
 - 4.3 कहानी पढ़ाने अथवा सुनाने के उद्देश्य।
 - 4.4 कहानी का महत्व।
 - 4.5 कहानी कहने के लिए सफलता के आवश्यक तत्व।
 - 4.6 कहानियों के प्रकार।
 - 4.7 कहानी कहने में सावधानियाँ।
5. भाषा सीखने के कौशल— सुनना, वाचन, पढ़ना एवं लिखना।
 - 5.1 सुनना।
 - 5.1.2 श्रवण कौशल का उद्देश्य।
 - 5.1.3 श्रवण कौशल के महत्व।
 - 5.1.4 श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ।
 - 5.1.5 श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें।
 - 5.1.6 श्रवण कौशल के मुख्य आधार।
 - 5.1.7 श्रवण कौशल के विकास।
 - 5.2 वाचन।
 - 5.2.1 वाचन कौशल के तत्व।
 - 5.2.2 वाचन कौशल का विकास।
 - 5.2.3 वाचन कौशल का महत्व।
 - 5.2.4 वाचन कौशल की विधियाँ।

- 5.2.5 वाचन संबंधी त्रुटियाँ।
- 5.2.6 वाचन संबंधी दोषों का निवारण।
- 5.3 पढ़ना।**
 - 5.3.1 पाठन कौशल के कारक।
 - 5.3.2 पाठन कौशल का विकास।
 - 5.3.4 पाठन कौशल के स्तर।
- 5.4 लिखना।**
 - 5.4.1 लेखन कौशल का उद्देश्य।
 - 5.4.2 लिखित अभिव्यक्ति कौशल का महत्व।
 - 5.4.3 लेखन शिक्षण प्रारंभ करने का समय।
 - 5.4.4 लेखन शिक्षण विधियाँ।
 - 5.4.5 लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें।
 - 5.4.6 लेखन कौशल के दोष।
 - 5.4.7 लेखन हेतु सुझाव।
- 6. अनुवाद उपागम।**
 - 6.1 उद्देश्य।
 - 6.2 अनुवाद उपागम प्रक्रिया के प्रकार।
 - 6.3 अनुवाद उपागम की विधियाँ।
 - 6.4 अनुवाद उपागम हेतु सुझाव एवं सावधानियाँ।
- 7. गलतियों का विश्लेषण।**
 - 7.1 भाषा दोष का विश्लेषण।
 - 7.2 गलतियों का विश्लेषण।
 - 7.3 सुधार हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता।
 - 7.4 गलतियों के सुधार हेतु निम्नलिखित शिक्षण विधियों का प्रयोग।
 - 7.5 गलतियों करने संबंधी कारण।
- 8. इकाई सारांश –**
- 9. दीर्घ एवं लघु प्रश्न।**
- 10. अपने उत्तरों की जाँच कीजिए।**
- 11. संदर्भग्रन्थ सूची**

परिचय— भाषा के विकास की युक्तियाँ संबंधी उपागम खण्ड की दूसरी इकाई है। इस इकाई में भाषा के विभिन्न कौशलों का वर्णन किया गया है और द्विभाषी, बहुभाषी एवं मौखिक भाषा के बारे में समझ विकसित की गई है। अनुवाद उपागम, कहानी सुनानी से होने वाले लाभों तथा प्राप्त होने वाले ज्ञान का वर्णन है।

उद्देश्य — इस इकाई के अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

- भाषा के विभिन्न रूपों को समझ सकेंगे।
- भाषा विकास के कौशलों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- कहानी के तत्वों एवं सुनाने के तरीकों के बारे में समझ सकेंगे।
- अनुवाद के द्वारा आने वाली कठिनाइयों एवं गलतियों के विश्लेषण को भी समझ सकेंगे।

2 भाषा के विकास की युक्तियाँ

(Strategies for Language Development)

भाषा एक ऐसा माध्यम है जिससे व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को दूसरों के सम्मुख व्यक्त कर सकता है तथा दूसरों के विचारों, इच्छाओं तथा भावनाओं को समझ सकता है। इस प्रकार भाषा, सम्प्रेषण (communication) का एक माध्यम है। भाषा के विकास के बिना बालक मानसिक योग्यताओं के विकास से वंचित रह जायेगा।

इस प्रकार यदि बालक का जन्म सामान्य रूप से हुआ है तो वह क्रमशः भाषा के विकास की विभिन्न स्थितियों से गुजरते हुए भाषा पर अधिकार कर लेता है। यह विकास एक सतत् प्रक्रिया है और इसमें विभिन्न स्थितियाँ एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं की जा सकती। यह भी आवश्यक नहीं है कि ये स्थितियाँ स्पष्ट रूप से सभी बालकों में निश्चित क्रम में दिखायी पड़ें। इसके अतिरिक्त, भाषा विकास की प्रगति भी सभी आयु में और सभी बालकों में एक सी दिखायी नहीं पड़ती है।

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, शिशु 13, 14 मास की आयु में पहला शब्द बोलता है। अस्तु, भाषा के विकास का प्रारम्भ इसी आयु से किया जाना चाहिए। इसके पहले की आयु को भाषा विकास की स्थिति में तैयार की स्थिति कहा जा सकता है क्योंकि इसमें भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ और संकेतों, की सहायता से दूसरों को अपनी बात समझ सकता है।

हैबर एवं फ्रीड (Haber and Fried 1975) ने लिखा है कि “सभी शब्द संकेत, जो परस्पर नियमों से बँधे हैं, भाषा की संरचना प्रदान करते हैं।”

नाइसडी (Nodasdy, 1995) ने 4,000 मानवीय भाषाओं का वर्णन किया। भाषा की संरचना को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :-


1. Phonemes, 2, Morphemes, 3, Lexeme

भाषा सीखने/विकास के स्तर

भाषा सीखने अर्थात् उसके विकास के स्तर को विभिन्न विद्वानों के द्वारा शोध कर यह निष्कर्ष निकाला है कि भाषा के स्तरों को चार वर्गों में निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है :-

1. **अर्थहीन भाषा का बोलना (Babbling)** यह बच्चा 6 महीने की अवस्था में बोलता है।
2. **एक शब्द बोलना (single word)** एक वर्ष से पूर्व बच्चा एक शब्द जैसे पापा, बाबा, मम इत्यादि बोल लेता है।
3. **दो शब्दों को साथ बोलना (Two word combination)**— यह बच्चा 2 वर्ष की अवस्था में बोल पाता है।
4. **वाक्य (Sentences)**— बच्चा 4 वर्ष की आयु में 3 से 8 शब्दों को बाले लेता है।

भाषा विकास के कारक



- (1) शारीरिक स्वास्थ्य, (2) बुद्धि, (3) सामाजिक आर्थिक स्थिति, (4) लिंग भेद, (5) दो भाषा सीखना, (6) सामान्य अभिवृद्धि

1. द्विभाषा वाद (Bilingualism)– भाषा के अंतर्गत द्विभाषा वाद

एक सशक्त अवधारणा है। इससे व्यक्ति का भाषात्मक विकास पर बहुत प्रभाव पड़ता है। बालक के भाषात्मक विकास पर इस बात भी प्रभाव पड़ता है कि शैशवावस्था में उसे घर में एक भाषा सीखनी पड़ती है या दो भाषाएं सीखना पड़ती है। कुछ भारतीय परिवारों में हिन्दी और अंग्रेजी खिचड़ी बनकर बालक को इतना भ्रमित कर दिया जाता है कि वह दोनों में से किसी का भी सही उच्चारण नहीं कर पाता है और ना ही किसी का शब्द भण्डार ही बढ़ा पाता है। इस दृष्टि से यह अधिक अच्छा है कि बालक को मात्र भाषा बोलने को ही प्रोत्साहित किया जावे और उससे वहीं बोला जाये या उसी का अभ्यास कराया जावे। शिशु से दो भाषाएं सीखने का बोझ देने से उसका बोलना सीखने में बाधा होने की संभावना होती है क्योंकि वह देखता है कि एक ही बात के लिए दो-दो शब्द हैं।

मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार दो भाषाएं सीखने से केवल भाषात्मक विकास में ही नहीं बल्कि चिन्तन पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसे निश्चित होता है कि किस अवसर पर कौन सा शब्द बोलना उपयुक्त है। दो भाषाएं सीखने से बालक को एक ही वस्तु अथवा कार्य के लिए दो शब्द सीखना पड़ते हैं। स्वाभाविक है कि इससे उसका शब्द भण्डार आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि दो भाषाओं को शब्दों के साथ-साथ व्याकरण का भी अंतर हो जाता है, इससे स्पष्ट है कि जो भारतीय माता-पिता अपने बालकों को शैशवावस्था से ही अंग्रेजी बोलना सिखाने का प्रयास

करते हैं या उसके साथ अंग्रेजी बोलते हैं वे केवल ऐसा करके न केवल उसके भाषात्मक विकास को बल्कि चिन्तनात्मक विकास को भी कुंठित करते हैं। इस प्रकार का विचार मात्र एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि अगर व्यक्ति को या बालक को द्विभाषा का समुचित ज्ञान है तो ऐसी अवस्था में उसके विकास की गति तीव्र हो जाती है। अतः अगर बालक समुचित बुद्धि वाला है तो ऐसी अवस्था में उसको द्विभाषा में प्रवीण कराना उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

2. बहुभाषावाद (Multilingualism)– भाषा के अंतर्गत बहुभाषी बाद एक अवधारणा है, जिसको तीव्र बुद्धि वाला ही ग्रहण कर सकता है, इसके अंतर्गत बालक को बहुभाषी अर्थात् बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता है, जिससे उसका तीव्र गति से समग्र विकास संभव होता है। भारत बहु भाषी देश है। सभी भाषाओं का अपना-अपना साहित्य भी उपलब्ध है और प्रत्येक भाषा-भाषी को अपनी भाषा और उसके साहित्य पर गर्व का भी अनुभव होता है। अगर हम एक दूसरे की भाषा का और उसके साहित्य का आदर व सम्मान करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम एक दूसरे के निकट आयेंगे और राष्ट्र एकता को बल मिलेगा। इस प्रकार भारत जैसे बहुभाषायी देश के लिये अनुवाद का महत्व और भी अधिक हो जाता है।

किसी भी नई भाषा के शिक्षण के लिये अनुवाद अत्यन्त सहायक सिद्ध होता है। लेकिन शिक्षण के अंतर्गत आवश्यकता से अधिक अनुवाद का प्रयोग अहितकर साबित हो सकता है। इस लिये अनुवाद का उचित प्रयोग ही सराहनीय हो सकता है। अनुवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक भाषा की तुलना दूसरी भाषा से बड़े सहज ढंग से की जा सकती है। इस लिये कभी-कभी भाषा का ज्ञान तुलना के माध्यम से देना बहुत सार्थक सिद्ध होता है।

3. मौखिक भाषा उपयोग के उपागम की युक्तियाँ – **(Strategies for using oral Language approach)**

भाषा, विचारों के परस्पर आदान-प्रदान का साधन है। अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष प्रकट करना अभिव्यक्ति कहलाता है। यह अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है – मौखिक और लिखित। मौखिक शब्द मुख में एक प्रत्यय लगकर बना है। जिसका अर्थ है – मुख से सम्बन्धित अर्थात् जब हम अपनी बात को मुख से कहकर या बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं तो वह मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है।

जब व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को तार्किक क्रम में कलात्मक ढंग से मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है, तो उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। प्रारंभ में

बालक अपने विचार बातचीत के माध्यम से ही दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है। बेकन के अनुसार सम्भाषण की कला में प्रवीण व्यक्ति की तत्पर बृद्धि वाला व्यक्ति बन सकता है।

3.1 मौखिक भाषा उपयोग के उद्देश्य एवं विशेषताएं

उद्देश्य

1. सरल प्रभावपूर्ण भाषा में स्वाभाविक ढंग से वार्तालाप करने की क्षमता प्रदान करना।
2. तथ्यों को क्रमानुसार स्पष्ट रूप से समयोचित रूप से प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना।
3. किसी श्रोता समुदाय के सम्मुख मौखिक रूप में अपनी बात को प्रस्तुत करने की क्षमता प्रदान करना।
4. किसी बात के पूछने पर प्रभावोत्पादक स्व एवं भाषा में उत्तर देने की क्षमता प्रदान करना।
5. शब्दों की मूलात्मा को समझकर उन्हें वाक्य में उचित स्थानों पर प्रयुक्त कर सकने की क्षमता प्रदान करना।

विशेषताएं

शिष्टता	प्रभावोत्पादकता	अवसरानुकूलता	भाषा—प्रवाह	स्पष्टता
सरलता	मधुरता	स्वराधात	व्याकरणिक	सशक्तता

3.2 मौखिक भाषा उपयोग कौशल की आवश्यकता व महत्व

1. सामाजिक विकास में सहायक—मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा एक-दूसरे के विचारों से अवगत होते हैं जिससे सामाजिक सम्बन्ध अधिक मजबूत बनते हैं।
2. व्यक्तित्व के विकास में सहायक— भाषा व्यक्तित्व की परिचायक है। जिस व्यक्ति की भाषा जितनी अधिक परिष्कृत एवं समृद्ध होती है वह अपने समुदाय में उतने ही अधिक मान-सम्मान को प्राप्त करता है।
3. अशिक्षित हेतु विचार—विनियम का माध्यम मौखिक हैं— प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार लिखित रूप में प्रकट करने में सक्षम नहीं होता। अशिक्षितों के लिए समाज के समक्ष अपने विचार प्रकट करने का जरिया मौखिक ही है।
4. शुद्ध उच्चारण एवं बोलने के सही रूप से अवगत कराना— लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा उच्चारणगत कमियों का पता नहीं चलता। परन्तु मौखिक भाषा

शीघ्र ही उच्चारणगत कमियों अथवा शुद्धताओं तथा वाचन की शैली से अवगत कराती है।

5. सजीवता एवं भाव प्रदर्शन – मौखिक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तियों का प्रत्यक्ष रूप से सामने होना आवश्यक है। अतः जब मुख से बोलकर किसी बात को व्यक्त किया जाता है। तो व्यक्ति अपनी भावनाओं को अधिक अच्छे ढंगसे व्यक्त कर सकता है।

3.3 मौखिक भाषा उपयोग शिक्षण की विधियाँ –

(1) **सस्वर वाचन**— मौखिक अभिव्यक्ति के विकास हेतु सस्वर वाचन कराया जाना अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हो सकता है। वाणी के उतार-चढ़ाव, शुद्धता, स्पष्टता, मधुरता आदि गुणों को विकसित करने के लिए सस्वर वाचन अत्यन्त प्रभावशाली है। सस्वर वाचन करवाना आवश्यक नहीं है। अध्यापक को ऐसे पाठ्यांश का चुनाव करना चाहिए जिसमें भावात्मक उतार-चढ़ाव, आलंकारिकता, प्रश्नात्मक, व्यंग्यात्मक एवं मुहावरे एवं लोकोक्ति युक्त वाक्य तथा विराम चिन्हों की अधिकता आदि महत्वपूर्ण तत्व हों।

(2) **कविता पाठ**—कविता पाठ करवाते समय छंद, लय, यति-गति, आरोह-अवरोह आदि का ध्यान रखना चाहिए। कविता पाठ का आयोजन सभा और उत्सवों के अतिरिक्त कक्षा में भी दो-तीन बार करवाया जा सकता है। कविता पाठ हेतु ऐसी कविताओं का चयन करना चाहिए जो देश भक्ति या सौहार्द भाव की प्रेरणा लिए हुए हो तथा एक रस की अभिव्यक्ति करती हों। कविता पाठ का आयोजन करने से पूर्व शिक्षक द्वारा छात्रों को निर्देशन देना चाहिए। कविता के आदर्श वाचन के श्रवण हेतु टेपरिकॉर्डर का सहारा लिया जा सकता है।

(3) **कहानी कथन**— कहानी कथन एक व्यक्तिगत कला है। कहानियों के दो प्रकार हैं— (1) लोक कहानियाँ, (2) साहित्यिक कहानियाँ। लोककथाएं साधारण भाषा में होने के कारण कही जा सकती हैं। परन्तु कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो बहुत अच्छी होने के पश्चात् भी कही नहीं जा सकती जैसे बूढ़ी काकी, ईदगाह आदि। लोक कहानियाँ पंचतंत्र व हितोपदेश की कहानियाँ कहने योग्य कहानियों में आती हैं क्योंकि ये जनमानस के मध्य पलती हैं तथा इनमें भाषा की लोच होती है जबकि साहित्यिक कहानियाँ इस दृष्टि से भिन्न होती हैं। छात्रों से कहानी कथन कराने से पूर्व अध्यापक को स्वयं छात्रों को कहानी कहने का ढंग सिखाना चाहिए। इस हेतु किसी ज्ञात कहानी को लिया जा सकता है जिसके चित्र विद्यालय में उपलब्ध हों। ऐसी चित्रात्मक कहानियों को भाषाबद्ध करने का कार्य छात्रों को सौंपा जाए।

(4) **अभिनय**— यह सस्वर वाचन का ही एक रूप है। इसे वाचिक अभिनय, रूपकाभिनय तथा अभिनयात्मक वाचन भी कहते हैं। इससे के लिए एकांकी, नाटकांश या संवादात्मक स्थल साधन रूप में काम में लाए जाते हैं। अभिनय पठन के दौरान छात्रों को संवादों में निहित भाव के अनुरूप वाचन करने का अभ्यास कराना चाहिए। इसके लिए एक या दो सूत्रधार भी बनाए जाने चाहिए जो दृश्य चित्रों को प्रस्तुत कर सकें तथा पठन समाप्ति के पश्चात् विद्यार्थियों का पात्र रूप में चयन किया जाना चाहिए।

(5) **पैनल चर्चा**— पैनल चर्चा का विद्यालय में आयोजन कराने के लिए प्रायोजना पद्धति का उपयोग किया जा सकता है तथा इसका आयोजन विद्यालय में मनाए जाने वाली विभिन्न दिवसों, जयन्तियों एवं राष्ट्रीय पर्व के उपलक्ष्य में करवाया जा सकता है। इस हेतु भाषा अध्यापक विद्यार्थियों का एक दल बना सकते हैं जो आयोजन हेतु आवश्यक सामग्रियों का संकलन कर सकें तथा अध्यापक छात्रों को विषय-उपविषय के बारे में बताकर अभ्यास हेतु निर्देश दे सकता है। पैनल चर्चा में कोई विषय निर्धारित करके उस विषय पर छात्र विकासात्मक प्रश्नों एवं उनका समाधान तैयार करते हैं।

3.4 मौखिक भाषा उपयोग शिक्षण के साधन —

1. सामान्य विषयों पर वार्तालाप (Dialogre on Common Topics) बच्चे समाज में रहकर कुछ अनुभव करते हैं और उनके मन में कुछ विचार उठते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि वह पढ़ना-लिखना सिखने से पहले साधारण विषयों, निकटतम पदार्थों तथा कहानियों के वर्णन द्वारा बच्चों को शुद्ध उच्चारण, निर्बाध अभिव्यक्ति और प्रवाह मुक्त वार्तालाप में अभ्यस्त कराए। बच्चों को इस प्रकार वार्तालाप की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। वे अपनी बात तभी कहेंगे जब उन्हें विद्यालयों में भी घरेलु पर्यावरण मिलेगा। अध्यापकों को प्रेम, सहानुभूति और धैर्य से काम लेना चाहिए।

2. कक्षा शिल्प (Class Craft) जो कुछ कक्षा में क्रियात्मक कार्य कराया जाए बच्चों से उसकी चर्चा करना मौखिक भाषा के विकास में सहायक सिद्ध होता है। बच्चे अपनी बनाई वस्तुओं के विषय में चर्चा करने में आनन्द लेते हैं।

3. अन्त्याक्षरी प्रतियोगिताओं का आयोजन (Organisation of word Competitions)— अन्त्याक्षरी प्रतियोगिताओं के माध्यम से बच्चों में अच्छे पद्यांश और छोटे-छोटे छन्दों में अभिव्यक्त पद्य खण्डों को याद करने तथा उनके संस्कार वाचन

करने की योग्यता का विकास होता है। इससे उनकी बोल-चाल की भाषा काव्यमय भी हो जाएगी।

4. चित्र वर्ण (Picture Description)– छोटे बच्चों के सामने चित्र प्रदर्शित कर उनसे चित्र का वर्णन करने के लिए कहा जा सकता है। इससे बालकों में सोचने तथा वर्णन करने की शक्ति का विकास होता है।

5. कण्ठ किये पद्य एवं गद्य खण्ड सुनाना (Recitation of memorised Prose paragraphs and stanzas of poetry)– विद्यालयों में आयोजित विभिन्न समारोहों में बच्चों को कण्ठ की गई कविताओं को सुनाने का अवसर देना चाहिए। भाषा के घण्टों में भी बच्चों से उनकी कण्ठ की गई कविताएं अथवा गद्य पंक्तियाँ सुनी जानी चाहिए।

6. कहानी और पहेलियाँ सुनाने का अवसर (Opportunities of narrating stories and puzzles)– भाषा (हिन्दी) के घण्टों में अध्यापक बच्चों से उनकी सुनी हुई या पढ़ी कहानियाँ अथवा पहेलियाँ सुन सकते हैं। यह साधन मुख्यतः छोटी कक्षाओं में उपयोगी होगा। इससे बच्चों की बोलीने की शक्ति का विकास होगा और अध्ययन में भी उनकी रुचि जागृत होगी।

7. नाटकीकरण (Dramatisation)– छात्रों से नाटकों का अभिनय कराया जाना चाहिए। अभिनय में उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। अभिनय भी संवेगात्मक स्थिति में बच्चे बड़े आत्मविश्वास के साथ वार्तालाप करते हैं। उन्हें उचित प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है।

8. बाल सभा (Morning Assembly)– सप्ताह में एक दिन पूरे विद्यालय में बालकों की सभा का आयोजन किया जाये। इसमें बालकों के पढ़े हुए गद्य-पद्य खण्डों, कहानियों, संवादों आदि को सुनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

9. समाचार सुनाना (Relating News)– बालकों को ऐसे अवसर भी प्रदान किये जाएं कि वे रेडियों सुने अथवा समाचार पत्र से पढ़े हुए समाचारों को सुना सकें। इसके अतिरिक्त किसी अन्य आँखों देखी घटना का विवरण भी दे सकें।

10. प्रश्नोत्तर (Question-Answers)– छात्रों से उनके संचित ज्ञान पर प्रश्न पूछना और उनका पूर्ण वाक्यों में उत्तर लेना भी लाभदायक होता है। बच्चों को पूर्ण वाक्यों में प्रभावशील ढंग से उत्तर देने की शैली में अभ्यस्त कराया जाना चाहिए। इससे उनमें समस्या समाधान की शक्ति भी विकसित होती है।

4. कहानी कहना (Story Telling)

4.1 कहानी गद्य साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है। कहानी कहने और सुनने की बात अति प्राचीन काल से चली आ रही है। कहानी कहने की परम्परा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव –जीवन। कहानी में लेखक की सारी शक्ति घटना, भाव या समस्या की अभिव्यक्ति पर केन्द्रित रहती है।

कहानी की परिभाषा

1. चार्ल्स बैरेट के अनुसार—“कहानी एक लघु वर्णनात्मक गद्य रचना है जिसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।”
2. प्रोफेसर मैथ्यूज के अनुसार— “कहानी घटना—प्रधान होनी चाहिए। उसके एक मात्र लक्ष्य में किसी प्रकार की बाधा न पड़नी चाहिए।”
3. मुन्शी प्रेमचन्द्र के अनुसार —“कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंश का या एक मनोभाव को प्रकट करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथानक सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं।”
4. एच.सी. वैल्स—“कहानी एक छोटी रचना ही है।”

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि —

1. कहानी एक लघु गद्य रचना है।
2. कहानी में निश्चित लक्ष्य होता है।
3. कहानी में संघर्ष एवं कौतूहल होता है।
4. कहानी में जीवन की वास्तविकता होती है।
5. कहानी में प्रवाह की एकता होती है।
6. कहानी पाठकों का मनोरंजन करती है।

4.2 कहानी कहने के तत्व।

1. **कथावस्तु**— कहानी की कथावस्तु छोटी होती है। यह सुसंगठित श्रृंखलाबद्ध होती है। रोचकता तथा कौतूहल कथानक का विशेष गुण हैं।

2. **पात्र और चरित्र**— चित्रण—चरित्र—चित्रण करने की दो प्रणालियाँ हैं

- (1) नाट्य प्रणाली
- (2) विश्लेषणात्मक प्रणाली

इनके द्वारा सुनाने वाला अपने गिने-चुने पात्रों के हर्ष-विषाद, हास्य-क्रन्दन का ऐसा स्वाभाविक ढंग से चित्रण करता है कि पाठक भी उनके साथ हँसने-रोने लगता है।

3. कथानोपकथन— इसके द्वारा ही कहानी अपने उद्देश्य की ओर तीव्र गति से अग्रसर होती है। यह कहानी का प्राण है। अतः संवाद छोटे और चुस्त होने चाहिए। वार्तालाप पात्र एवं परिस्थितियों के अनुकूल हो, दार्शनिकता से परे हो और साथ ही उसका रोचक एवं मर्मस्पर्शी होना भी आवश्यक है।

4. शैली— शैली ही लेखक का व्यक्तित्व है। अतः विभिन्न व्यक्तियों की शैली भी विभिन्न होती है, जिसकी कथानक की पुष्टि से निम्न ढंगों में रखा जा सकता है —

(अ) आत्म-कथानक प्रणाली।

(ब) विवरणात्मक प्रणाली—इसमें कहानीकार तटस्थ होकर वर्णन करता है।

(स) पत्र प्रणाली

(द) डायरी-प्रणाली

(य) मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली।

(र) कथनोपकथन प्रणाली।

5. भाषा—कहानी की भाषा में स्वाभाविकता तथा वास्तविकता होनी चाहिए। वह देश, काल और पात्रों की स्थिति के अनुरूप हो। भाषा की सरलता, शब्दों की उपयुक्तता तथा सुसंगठिता पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहानी की भाषा में चुहल और सरलता का होना अनिवार्य है।

6. देश—काल—अपने युग तथा अपने स्थान के अनुकूल चित्रित होने में ही पात्रों, घटनाओं का महत्व होता है, घटनाएँ तभी संगत लगती हैं, जब वे देश—काल के अनुरूप हों।

7. उद्देश्य—विभिन्न कहानियों के विभिन्न उद्देश्य हो सकते हैं परन्तु साधारणतः कहानी के निम्नलिखित प्रयोजन होते हैं —

मनोरंजन तथा आनन्द प्राप्ति, शिक्षा और उपदेश, जीवन सम्बन्धी रहस्यों का उद्घाटन, समाज की आलोचना तथा मानव-प्रकृति पर प्रकाश डालना।

सौन्दर्यानुभूति की अभिव्यक्ति, संदेश, जीवन के पोषण, वर्द्धन एवं विकास के सभी उपादानों तथा चित्रवृत्तियों का विश्लेषण।

4.3 कहानी पढ़ाने अथवा सुनाने के उद्देश्य हैं —

(1) स्वस्थ मनोविनोद और मनोरंजन की शिक्षा देना।

(2) बालकों को स्पष्ट एवं तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाना।

(3) कल्पनाशक्ति के प्रयोग के अवसर प्रदान करना।

(4) संवेगों को प्रशिक्षित करना।

- (5) व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यवहार के आदर्श उपस्थित करना।
- (6) भाषा एवं शैली-विषयक रुचि का परिष्कार करना।
- (7) हृदयगत भावों को क्रमबद्ध तर्कपूर्ण, सुश्रृंखलित एवं स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति करने के साधन प्रस्तुत करना।

4.4 कहानी कहने का महत्व

1. कहानी कहने से सामान्य ज्ञान की वृद्धि होती है। कहानियों के माध्यम से जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान होता है। पशु-पक्षी एवं मानव स्वभाव व गुण-दोशों का ज्ञान भी प्राप्त होता है, जैसा कुत्ता स्वामीभक्त, लोमड़ी चालाक, हिरन तेज दौड़ता है।
2. कहानी कहने-सुनने, पढ़ने या लिखने से भाषा सम्बन्धी ज्ञान में श्री वृद्धि होती है। नये-नये शब्दों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों का ज्ञान हो जाता है।
3. कहानी सुनने तथा कहने से बालकों में श्रवण कौशल, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है।
4. नाटक, आत्मकथा, जीवन तथा संस्मरण की शिक्षा देते समय उनसे सम्बन्धित कथानकों तथा आगे-पीछे की घटनाओं को सुनाने से कहानी रुचिकर बन जाती है।
5. कहानी द्वारा बालकों की तर्क, विवेक, संकल्प तथा कल्पना-शक्ति का विकास होता है।
6. कहानी से बालकों में क्रमिक रूप से बोलना तथा तार्किक रूप से विचार करने की शिक्षा मिलती है। बालकों में झिझक व संकोच की भावना दूर होती है।
7. कहानी से बालकों की स्मरण-शक्ति का विकास होता है।
8. कहानी बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक होती है।
9. कहानी मनोरंजन का साधन है।
10. किसी भी गद्य पाठ को पढ़ाते समय कहानी का प्रयोग नीरस से नीरस गद्य पाठ को रुचिकर बना देता है।


4.5 कहानी कहने की सफलता के लिए आवश्यक तत्व।

1. अध्यापक की स्वयं की रुचि कहानी होनी चाहिए।
2. कहानी नैतिक उद्देश्यों से सम्पन्न होनी चाहिए।

3. कहानी का चुनाव बालकों की अवस्थानुसार किया जाये।
4. कहानी कहते समय ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे बच्चे आसानी से समझ सकें।
5. शिक्षक को देश-काल परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तभी कहानी का वर्णन सजीव तथा वास्तविक होगा तथा बालकों को कहानी की घटनाओं का ज्ञान ठीक तरह से हो सकेगा।
6. कहानी सुनाते समय अध्यापक का स्वर इतना ऊँचा होना चाहिए कि कक्षा के सभी बालक कहानी को अच्छी प्रकार से सुन सकें।
7. कहानी का शीर्षक छोटा, स्पष्ट, सारगर्भित तथा उत्सुकता प्रदान करने वाला होना चाहिए।
8. कहानी सुनाते समय अध्यापक को उचित हाव-भाव का प्रदर्शन भी करना चाहिए।
9. कहानी मौखिक रूप से सुनानी चाहिए पुस्तक में से पढ़कर नहीं।
10. कहानी में वीभत्स तथा भयानक दृश्यों का चित्रण नहीं होना चाहिए।
11. कहानी इस प्रकार सुनानी चाहिए कि एक के बाद एक घटनाएं प्रवाह के साथ प्रस्तुत होती जाएं।
12. शिक्षक को कहानी सुनाते समय बच्चों पर भी दृष्टि रखनी चाहिए कि वे कथा को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या नहीं।
13. कहानी से कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए।
14. कहानी सुनाने के पश्चात् कहानी की पुनरावृत्ति छात्रों से करानी चाहिए तथा अन्त में छोटे-मोटे प्रश्न पूछकर कहानी को दोहराया जा सकता है।

4.6 कहानियों के प्रकार –

हिन्दी साहित्य में अनेक प्रकार की कहानियों की रचना की जाती है। सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक तथा जसूसी आदि अनेक प्रकार की कहानियों की रचना की जाती है। कहानी कथावस्तु या घटना चरित्र, कार्य प्रधान तथा भाव प्रधान होती है। इस प्रकार कहानियों का तीन प्रकार के वर्गों में विभाजित किया जाता है –



1. यथार्थवादी कहानियाँ— जो जीवन का वास्तविक, स्वाभाविक तथा यथार्थ चित्रण करती है। यह जीवन की वास्तविकता से सम्बन्धित होती है।
2. आदर्शवादी कहानियाँ—जीवन का स्वरूप तथा आचरण कैसा होना चाहिए? इसके लिए कहानी के माध्यम से आदर्श प्रस्तुत करती है। इनमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह जीवन हेतु आदर्श प्रस्तुत करती है।
3. मिश्रित कहानियाँ (आदर्शोन्मुख यथार्थवाद)—इस प्रकार की कहानियों में व्यावहारिकता तथा स्वाभाविकता होती है। परन्तु कल्पना में आदर्श रूप निहित होता है।

4.8 अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों से कहानी पूर्ति करवाना —

एक घमण्डी बारहसिंगा एक किसी तालाब में पी रहा था में परछाई उसने कि मेरे सींगों के किसी नहीं है। वहाँ लोमड़ी । देखकर बारहसिंगे ने कहा कि मैं तुमको मेरे सींगों के कारण मुझसे नहीं होती ? लोमड़ी ने कहा मुझे ईश्वर ने दी है। मैं तुम्हारे सींगों को तुमसे नहीं करती। में कहीं से की आवास पड़ी। उसे लोमड़ी एक में घुस गई जंगल को । वहाँ सींग एक झाड़ी में उलझ । शिकारी उसका करता हुआ झाड़ी को पहुँचा और उसने को मारी। मरते बारहसिंगों ने कहा कि सींगों की मैं बड़ाई उन्हीं के मेरी हुई है।

4.9 कहानी कहने में सावधानियाँ

शिक्षक के लिए कहानी कहने की कला में प्रवीण होना आवश्यक है। कुछ शिक्षकों में तो यह गुण जन्म से होता है और वे उसके द्वारा बालकों का मन मोह लेते हैं और कक्षा वातावरण सजीव एवं प्रफुल्लित हो उठता है। किन्तु अन्य शिक्षकों को भी इस कला में प्रवीण होना चाहिए। निम्नांकित बातें इस कला के अर्जन की दृष्टि से ध्यान देने योग्य हैं –

- (1) कहानी का चुनाव, उसकी भाषा एवं कथन का ढंग बालकों की आयु, योग्यता, ज्ञान एवं अभिरुचि के अनुकूल हो, जैसे प्रारम्भिक स्तर पर पशु-पक्षी सम्बन्धी काल्पनिक कहानियाँ, फिर आगे पौराणिक कहानियाँ, लोक-कथाएं, साहसिक यात्रा सम्बन्धी कहानियाँ, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर पर आविष्कार एवं अनुसंधान सम्बन्धी कहानियाँ सामाजिक, पारिवारिक एवं मनोवैज्ञानिक कहानियाँ आदि।
- (2) कक्षा में कहानी कही जाए, पढ़ी न जाए। यदि कहानी पढ़कर सुनाई जाती है तो बालकों की उत्कण्ठा, रुचि और लालसा समाप्त हो जाती हैं।
- (3) शिक्षक को कहानी का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए और अपनी भाषा में कहानी सुनाना चाहिए। इससे कहानी में एक नवीनता आ सकती है।
- (4) शिक्षक को कहानी कहने में स्वयं उत्साह एवं आनन्द का अनुभव करना चाहिए। कहानी कहने वाला स्वयं कहानी में तन्मय हो जाता है। शिक्षक के कथन के ढंग पर ही कहानी की रोचकता निर्भर करती है। अन्यथा उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- (5) कहानी के कुछ स्थल बड़े ही मार्मिक होते हैं। ऐसे स्थल बिना किसी शब्द परिवर्तन के अपने मूल रूप में प्रस्तुत करने चाहिए, प्रभाव की दृष्टि से यह आवश्यक है।
- (6) कहानी में घटनाक्रम स्थलों को जहाँ तक सम्भव हो, स्पष्ट रूप में चित्रित किया जाए। भाषा सरल एवं शुद्ध हो। बातचीत की शैली कहानी अधिक सरस होती है। भाषा के प्रवाह तथा ध्वनि के आरोह-अवरोह द्वारा कथन प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(7) कहानी का वर्णन स्वाभाविक हो। जान-बूझकर कर नाटकीयता नहीं लानी चाहिए। उचित भाव-भांगिमा ही यथेष्ट है। सौम्य एवं प्रफुल्ल मुद्रा में कहीं गई कहानी अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध होती है।

(8) कहानी कहते समय शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घटनाचित्र बालकों के मानस पटल पर अंकित हो जाए। इसके लिए उसे अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए।

(9) कहानी सोद्देश्य होनी चाहिए और शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बालक उस उद्देश्य को समझ लें।

(10) कहानी कक्षा के स्तर के अनुकूल निरूपित कर लेनी चाहिए। एक ही कहानी यदि विभिन्न कक्षाओं में सुनानी है तो उसका रूप और उसकी भाषा तदनुकूल बना लेनी चाहिए।

(11) यदि कहानी बड़ी प्रचलित है और बालकों की सुनी हुई है तो उसके कहने का ढंग बदल देना चाहिए। उदाहरणतः कहानी के ही किसी प्रमुख पात्र की आत्मकथा के रूप में कहानी कही जा सकती है। इससे कहानी में एक नवीनता आ जाती है। कथानक सम्बन्धी प्रश्न करने चाहिए।

(12) कहानी अधिक लम्बी नहीं होनी चाहिए अन्यथा बालक आनन्द की जगह भार स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। यदि कहानी कुछ बड़ी है तो उसे कुछ खण्डों में विभाजित कर लेने पर दो-तीन प्रश्नों द्वारा छात्रों को ग्रहता की जाँच कर लेनी चाहिए और उसके द्वारा कथासूत्र को बढ़ाने के लिए छात्रों को अभिप्रेरित करना चाहिए।

4.10 विद्यार्थियों द्वारा कहानी लिखते समय अपने निर्णय का महत्व।

कथा वस्तु

एक गाँव में एक धोबी रहता था। उसका नाम धनसुख था। उस बुढ़े धोबी के एक जवान लड़का था जिसका नाम कल्लू था। एक दिन कल्लू ने अपने पिता से कहा, 'पिताजी, मेरे लिए नये कपड़े बनवा दीजिए, मैं उन्हें पहन कर होली खेलूँगा।'

दूसरे दिन प्रातः ही दोनों पिता-पुत्र बाजार के

प्रश्न

प्रा०—बालकों के लिए विशेष रूप से नये कपड़े किन-किन त्योंहारों पर बनवाये जाते हैं ?

प्रा०— त्योंहारों पर तुम किस प्रकार का भोजन

लिए चल दिये। साथ में उन्होंने अपना गधा भी ले लिया कि कुछ खाने की चीजें भी बाजार से लेते आयेगे।

आगे-आगे धनसुख जा रहा था, उसके पीछे कल्लू गधे को हॉकते हुए जा रहा था। इस प्रकार दोनों को पैदल जाते हुए देखकर एक व्यक्ति ने कहा, “देखिए ये कितने मूर्ख हैं? सवारी साथ में है फिर भी दोनों पैदल जा रहे हैं।” यह कहकर उस आदमी ने तो अपना रास्ता लिया।

अब धनसुख ने सोचा कि यह आदमी बात तो ठीक कहा रहा था, अतः उसने अपने पुत्र कल्लू को गधे पर बिठा दिया और स्वयं उस गधे के पीछे-पीछे पैदल चलने लगा।

कुछ आगे चलने के पश्चात् फिर उन्हें एक व्यक्ति रास्ते में मिला। कल्लू को गधे पर और उसके पिता को पैदल जाते हुए देखकर उसने का, “यह देखिए कलयुग की माया। बूढ़ा पिता तो पैदल जा रहा है और उसका लड़का गधे पर बैठा जा रहा है।” इतना कहकर वह व्यक्ति तो चल दिया, लेकिन कल्लू बहुत लज्जित हुआ। वह गधे से उतर पड़ा और अपने पिता को उस पर बैठा दिया।

इस प्रकार धनसुख गधे पर बैठ गया और कल्लू उसके पीछे-पीछे पैदल चलने लगा। कुछ दूर और आगे चलकर रास्ते में एक अन्य व्यक्ति मिल। उसने कहा, “पिता कैसा निर्दयी है स्वयं तो गधे पर बैठा है और अपने लड़के को पैदल घटीस रहा है।” ऐसा कहकर वह धनसुख को धिक्कारने लगा। अब धनसुख बड़े असमंजस में पड़ गया। उसने बहुत

करते हो ?

प्रा०—जब तुमने दो व्यक्तियों को सवारी पर बैठे हुए नहीं देखा और सवारी साथ हो, तो तुम उनसे क्या कहोगे ?

प्रा०—अगर तुम धनसुख की जगह पर होते तो क्या करते ?

प्रा०—जवान लड़का गधे पर बैठा हो और बेचारा बूढ़ा पिता पैदल जा रहा हो, तो तुम उस जवान लड़के से क्या कहोगे ?

प्रा०—अगर तुम कल्लू की जगह पर होते, तो क्या करते ?

प्रा०—अगर पिता और तुम साथ-साथ जा रहे हों और सवारी तुम्हारे पास हो, तो सबसे पहले उस पर कौन बैठेगा ?

प्रा०—अगर तुम धनसुख की जगह पर होते तो क्या क्या करते ?

प्रा०—अगर गधे पर दो

सोच-विचार के बाद यही निर्णय किया कि कल्लू को भी साथ बैठा लिया जाए।

जब बूढ़ा बाप और जवान पुत्र गधे पर बैठ गये और आगे चलने लगे तो बेचारा गधा बैठा जा रहा था। थोड़ी दूर भी नहीं जा पाये थे कि बाजार से लौटते हुए कुछ लोगों ने इन दोनों को गधे पर बैठकर जाते हुए देखा। वे लोग बहुत क्रुद्ध हुए। उनमें से एक ने धनसुख को फटकारते हुए कहा, 'गधे बेचारे की तो जान, निकली जा रही है और तुम दोनों इस पर बैठे मौज उड़ाते चले जा रहे हो। तुम लोगो बड़े मूर्ख और निर्दयी मालूम होते हो।' यह कहकर वह व्यक्ति चलता बना।

अब दोनों की समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या, किस प्रकार चलें। हर प्रकार से लोगों को हममें दोष दिखाई पड़ता है। गंधा बहुत थक गया था। अतः उसे आराम देने के लिए इन दोनों ने उसके पैरों में रस्सी बाँधकर लाठी में टाँग लिया और कंधे पर लेकर चलते बने।

जब ये लोग पुल के पास पहुंचे, तो उन्हें देखते ही नदी के पुल पर बैठे हुए लोग ठहाके मारकर हँसने लगे और उन दोनों की हँसी उड़ाने लगे। लोगों का हँसना और शोर करना सुनकर गधा फड़फड़ाने लगा। कल्लू और धनसुख को क्रोध आ गया। उन्होंने गधे को पुल के नीचे नदी में फेक दिया।

इस प्रकार सब लोगों को खुश रखने के प्रयत्न में उन्हें गधे से हाथ धोना पड़ा और गधे बेचारे की जान चली गई।

सचमुच संसार में चाहे जिस ढंस से रहो, कुछ लोग हँसी और शिकायत करने वाले मिल ही जाते

व्यक्ति बैठ जाते हैं, तो बेचारे गधे की क्या हालत हो जाती है ?

प्र०—अगर इस दशा में तुम उस गधे पर दो व्यक्तियों को बैठा देखते, तो क्या कहते ?

प्र०—अगर तुम उन दोनों की जगह पर होते तो क्या करते ?

प्र०—अगर इस प्रकार गधे को थका हुआ तुम देखते तो क्या करते ?

प्र०—अगर किसी पशु को चारों तरफ से घेरकर शोर करने लगे, तो वह क्या करेगा ?

प्र०—जब किसी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो उसकी बुद्धि कैसी जा जाती है ?


प्र०—जब संसार के लोग भिन्न प्रकार की राय दें तो हमें क्या करना चाहिए ?

है। यह उनका स्वभाव ही होता है – हर एक की शिकायत करना। अतः उसकी चिन्ता न करके हमें विचारपूर्वक अपना कार्य करना चाहिए।

5.भाषा सीखने के कौशल सुनना, वाचन, पढ़ना एवं लिखना।

भाषा सीखने में कौशल.....

भाषा कौशल भाषा का एक व्यावहारिक पक्ष है। प्रत्येक व्यावहारिक प्रयोगात्मक तथा तकनीकी के कार्यों में कौशल की अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रत्येक व्यक्ति की कार्यक्षमता व्यक्ति के कार्य कौशल पर ही निर्भर करती है। जबकि प्रत्येक व्यवसाय की सक्षमता के लिए विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता महसूस की जाती है। कौशलों को निम्नप्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे— मेडीसिन कौशल, शिक्षण कौशल, सामाजिक कौशल तथा भाषा कौशल विचारों, भावों तथा तथ्यों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा कौशलों की आवश्यकता पड़ती है। भाषा विज्ञान भाषा का एक सैद्धांतिक पक्ष है जबकि भाषा कौशल व्यावहारिक पक्ष है। भाषा के चार कौशल लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनना होते हैं। जैसा कि सर्वमान्य तथ्य यह है कि भाषा कौशल अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण कौशल होता है। व्यक्ति की सम्प्रेषण क्षमता भाषा कौशलों की दक्षता पर ही निर्भर करती है।



भाषा कौशल की विशेषताएँ

1. कौशल भाषा का एक व्यावहारिक पक्ष है।
2. भाषा कौशल सम्प्रेषण का साधन तथा मुख्य माध्यम है।
3. भाषा कौशल में मानसिक, शारीरिक अंगों, ज्ञान-इन्द्रियाँ तथा कर्म-इन्द्रियाँ क्रियाशील होती हैं।
4. भाषा कौशल अर्जित किये जाते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण तथा अभ्यास किया जाता है।
5. भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की आवश्यकता होती है।
6. भाषा कौशल से सम्प्रेषण बोधगम्य बनता है।
7. भाषा कौशल से सम्प्रेषण की सक्षमता का विकास होता है।
8. भाषा कौशल से शाब्दिक अन्तःप्रक्रिया होती है।
9. भाषा कौशल की प्रभावशीलता का आकलन कौशलों की शुद्धता तथा बोधगम्य द्वारा किया जाता है।
10. भाषा कौशलों का भाषा विज्ञान तथा व्याकरण ही मुख्य आधार होता है।

5.1.1 श्रवण (सुनना) (Listening)

श्रवण अर्थात् सुनने संबंधी कौशल, भाषा सीखने की प्रथम सीढ़ी है। विद्यार्थी कहानी, कविता, भाषण, वार्तालाप आदि का ज्ञान सुनकर ही प्राप्त करता है। मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण रहना ही श्रवण कौशल का विकास है। इसके लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। वास्तव में श्रवण कौशल भाषा सीखने का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग है। इसके आधार पर ही अन्य कौशलों का विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के पश्चात् ही पढ़ने लिखने का कौशल विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से रहा जा सकता है कि सुनने के अभ्यास को ही श्रवण कौशल कहा जाता है। कानों द्वारा ध्वनियों को स्वीकार कर मस्तिष्क द्वारा उसको अनुभूति करने को ही श्रवण कहा जाता है।

5.1.2 श्रवण कौशल का महत्व (Importance of Listening Skill)

1. बालक के व्यक्तित्व के विकास में श्रवण कौशल का अधिक महत्व है। बालक जिन ध्वनियों को सुनता है वह उसके मन-मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। ये अंकित ध्वनियाँ ही बच्चे के भाषा-ज्ञान का आधार बनती हैं। श्रवण कौशल अन्य भाषायी कौशलों को विकसित करने की प्रमुख

आधारशिला है।

2. बालक श्रवण के प्रति जागरूक बनता है। उसकी श्रवणेन्द्रियों का उपयोग होता है।
3. भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। नये-नये शब्दों को सुनकर बालक अपने शब्द-भण्डार में वृद्धि करता है।
4. बालक परिवार के सदस्यों तथा अध्यापकों की बात सुनकर स्वयं अपने उच्चारण हाव-भाव, उतार-चढ़ाव उचित स्वरगति के अनुसार बोलने का प्रयास करता है।
5. शान्त रहकर दूसरों की बात सुनकर व समझकर ही व्यक्ति अपने विचारों के प्रतिपादन हेतु ठोस तर्क प्रस्तुत कर सकता है।
6. साहित्य की विभिन्न विधाओं का अध्ययन तथा उनकी व्याख्या को सुनकर ही उसकी विषय वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है। बालक कविता का रसास्वादन, कहानी का आनन्द सुनकर ही कर सकता है।

5.1.3. श्रवण कौशल के उद्देश्य (Aims of Listening Skill)

श्रवण कौशल के निम्नलिखित उद्देश्य हैं ‘

1. छात्रों में श्रवण के प्रति रुचि उत्पन्न करना जिससे वे दूसरों की बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकें।
2. छात्रों में सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना।
3. दूसरों के द्वारा उच्चरित शब्दों को सुनकर शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना।
4. श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण अंशों को पहचानने की योग्यता विकसित करना।
5. श्रुत सामग्री के महत्वपूर्ण, आकर्षण तथा मर्मस्पर्शी विचारों तथा भावों का चयन करने की योग्यता विकसित करना।
6. वक्ता के मनोभावों को समझना।
7. श्रुत सामग्री का सारांश ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना।
8. भाषा एवं साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना।

5.1.4. श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ (Methods of Teaching Listening Skill)

श्रवण कौशल भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण सोपान है। श्रवण कौशल का शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। छात्रों में श्रवण कौशल का विकास करने के लिए शिक्षण को निम्नलिखित विधियों, सामग्री एवं उपकरणों की सहायता लेनी चाहिए –

(1) प्रश्नोत्तर (Question-Answer Method)– प्रश्नोत्तर प्रणाली एक महत्वपूर्ण विधि है। शिक्षक को पढ़ाई गई सामग्री पर कक्षा में प्रश्न पूछने चाहिए। कक्षा में प्रश्न पूछने से यह पता चल जायेगा कि छात्र सुनकर विषय को ग्रहण कर रहे हैं या नहीं। प्रश्न कक्षा के सभी छात्रों से पूछे जायें।

(2) सस्वर वाचन (Loud Reading)– शिक्षक द्वारा किये गये आदर्श वाचन से छात्र उच्चारण, गति, विराम चिन्हों आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह छात्रों से अनुकरण वाचन कराये। इससे यह पता चल सकेगा कि छात्र ध्यान से पाठ्यवस्तु को सुन रहे हैं या नहीं। अतः छात्रों द्वारा सस्वर वाचन कराने से उनमें श्रवण कौशल का विकास किया जा सकता है।

(3) भाषण (Speech)– भाषण द्वारा बालक में मौखिक भाषा का विकास किया जाता है। परन्तु इसके द्वारा श्रवण कौशल का भी विकास किया जा सकता है। भाषण द्वारा बालक की श्रवणेन्द्रियों का विकास किया जा सकता है। भाषण देने से पूर्व शिक्षक बालकों को यह बता दे कि वे उसके भाषण को ध्यानपूर्वक सुनें और तत्पश्चात् उनसे भाषण पर प्रश्न पूछे जायेंगे। शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछकर यह पता लगा सकता है कि उन्होंने भाषण को ध्यानपूर्वक सुना या नहीं।

(4) कहानी कहना तथा सुनना (Story Telling and Listening)– बालकों को रोचक कथाएँ, कहानियाँ जैसे– परियों की, राजा–रानी की तथा पशु–पक्षियों आदि की कहानी सुनानी चाहिए। इसके पश्चात् उसी कहानी को बालकों से सुननी चाहिए। इससे यह पता लगाया जायेगा कि बालकों ने कहानी सुनी या नहीं।

(5) श्रुत लेख (Dictation)– श्रुत लेखन में शिक्षक किसी गद्यांश आदि को बोलता जाता है तथा छात्र सुनकर लिखते चलते हैं। जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा वह सम्पूर्ण सामग्री को शुद्ध लिख लेगा तथा कोई भी अंश नहीं छूटेगा। जो छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुनेगा उसके बीच–बीच में कुछ शब्द या वाक्यांश छूट जायेंगे।

(6) वाद–विवाद (Dictation)– श्रवण कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए वाद–विवाद भी एक महत्वपूर्ण क्रिया है। वाद–विवाद में छात्र को हर बात ध्यानपूर्वक सुननी होती है क्योंकि बिना सुने वे दूसरे पक्ष की बात का उत्तर न दे सकेंगे और न

अपने तर्क की प्रस्तुत कर सकते हैं। शिक्षक को सभी छात्रों से प्रश्न पूछकर यह जाँच करनी चाहिए कि वे वाद-विवाद के तर्कों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे या नहीं।

(7) दृश्य-श्रव्य सहायक सामग्री का प्रयोग (Use of Audio-visual Aids)– श्रवण कौशल को विकसित करने तथा उच्चारण सम्बंधी दोषों को दूर करने के लिए ग्रामफोन, टेपरिकार्डर, रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन तथा वीडियो आदि की सहायता ली जा सकती है। इन साधनों की सहायता से कहानी, कविता, महापुरुषों के भाषण, नाटक तथा विभिन्न शैक्षिक व मनोरंजक कार्यक्रम सुने जा सकते हैं।

5.1.5 श्रवण कौशल में ध्यान देने योग्य बातें

श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान देना आवश्यक है –

1. बालक श्रवण में रुचि रखें।
2. बालक में धैर्यपूर्वक सुनने की क्षमता विकसित करना।
3. बालक में भाव ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो।
4. बालक को हिन्दी ध्वनि, ध्वनि के प्रकार, उनके वर्गीकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
5. बालक की श्रवणेन्द्रिय ठीक हो।

5.1.6. श्रवण कौशल के मुख्य आधार – श्रवण कौशल की सार्थकता के लिए कुछ आवश्यक आधार होते हैं। उन आधारों का उल्लेख निम्नलिखित पंक्तियों में किया गया है –

1. सुनने वाले की श्रवण इन्द्रिय सामान्य एवं क्रियाशील हो।
2. भाषा की ध्वनियों से शब्दों का बोध होना।
3. सुनने वाला ध्वनियों के प्रति सजग हो और उन्हें समझने का प्रयास करता हो।
4. सुनने की रुचि में तत्पता एवं एकाग्रता हो।
5. ध्वनियों से जो भाव एवं विचार सम्प्रेषित किये जा रहे हैं उन्हें श्रोता बोधगम्य कर सकें।
6. ध्वनियों के साथ बोलने वाले के हाव-भाव से भी उसकी अभिव्यक्ति का अनुमान लगाना चाहिए।
7. वाचन की प्रभावशीलता को सुनने के आधार पर आकलन किया जाता है कि वक्ता जो कहना चाहता है श्रोता उसको शुद्ध रूप से बोधगम्य कर लेता है

अथवा नहीं।

5.1.7 श्रवण कौशल का विकास – मौखिक भाषा सुनकर उसके अर्थ एवं भाव समझने की क्रिया में निपुण करना ही श्रवण कौशल का विकास है, और इसके लिए आवश्यक है कि उनमें सुनने के आवश्यक तथ्यों का विकास किया जाए। यह कार्य एक-दो दिन, माह अथवा वर्षों में नहीं किया जा सकता, इसके लिए तो सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। जहाँ तक मातृ-भाषा के संदर्भ में सुनने के कौशल के विकास का प्रश्न है, इसका कुछ विकास तो बच्चों में विद्यालयों में प्रवेश लेने से पहले हो चुका होता है परन्तु उसकी अपनी सीमा होती है और यह सीमा बहुत सीमित होती है। विद्यालयों में बच्चों को मातृ-भाषा के सर्वमान्य रूप को सुनने और सुनकर उसका अर्थ एवं भाव समझने में दक्ष किया जाता है। इसके लिए हमें विद्यालयी शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न कार्य करने पड़ते हैं।

5.2 वाचन (Speaking)

वाचन ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन एक कला है एक कौशल है। वाचन केवल पुस्तक को पढ़ना मात्र नहीं वरन् पढ़कर उसे समझना, उसका अर्थ ग्रहण करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक वाचन की शिक्षा इतिहास और भूगोल की भाँति नहीं दे सकता। वाचन की परिभाषा इस प्रकार है “पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को वाचन कहते हैं।” ल्यूहस नामक विद्वान ने “स्कूल में भाषा” पुस्तक में लिखा है कि “वाचन एक साधन है, जिसके माध्यम से बालक सम्पूर्ण मानवता के द्वारा ‘संचित ज्ञानराशि’ से परिचित हो सकता है।” अतः भाषा शिक्षण में वाचन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। वाचन ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ आनन्द प्राप्ति का भी साधन है। वाचन मनोरंजन का एक सशक्त साधन है। वाचन की सामाजिक उपयोगिता भी सर्वाधिक है। वाचन साक्षरता का पर्याय है, बहुदा लोग कहने लगते हैं पढ़े-लिखे हो अर्थात् साक्षर हो।

इस प्रकार वाचन भाषा के लिखित रूप से आधारित है। सामान्य भाषा में लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है। वाचन में केवल लिपिबद्ध अक्षरों की पहचान तथा उनकी मौखिक अभिव्यक्ति ही पर्याप्त नहीं है, वरन् उसका अर्थग्रहण करके उसे समझना भी अनिवार्य है। अतः वाचन कौशल की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है— कवि या लेखक के लिखित विचारों एवं निहित भावों के साथ तादात्म्य स्थापित करने हेतु जिस युक्ति का उपयोग किया जाता है, उसे वाचन कौशल करते हैं।

5.2.1 वाचन कौशल के तत्व

1. ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर पहचानना।
2. वर्णों के प्रयोग से शब्दों का निर्माण करना।
3. शब्दों को उचित दृष्टिसोपान में बँटकर उचित गति से उच्चरित करना।
4. वाक्य को सार्थक इकाइयों में बँटकर पढ़ना।
5. प्रसंगानुसार शब्दों का भाव ग्रहण करना।
6. पूर्व अर्जित ज्ञान से पठित सामग्री का सम्बन्ध स्थापित करना।
7. अपना आचरण मंतव्य के आधार पर स्थिर करना तथा उसके अनुसार व्यवहार करना।

5.2.3 वाचन कौशल का विकास

वाचन कौशल का विकास करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं —

- (1) छोटी कक्षाओं में कहानी कथन, कविता पाठ, चर्चा, संवाद तथा एकांकी पाठों का अनुसंवाद कराना।
- (2) वर्णन, विवरण, आशु भाषण तथा एक-एक मिनट का वाद-विवाद कराना।
- (3) छात्रों से किसी घटना पर अपने विचार व्यक्त करने को कहना।

इस प्रकार के कार्यों को करवाकर अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को अधिक मात्रा में सक्रिय रख सकता है जिससे छात्रों के लिए अध्ययन-अध्यापन रुचिकर हो जाता है।

5.2.4 वाचन कौशल का महत्व

हिन्दी शिक्षण में वाचन कौशल का विशेष महत्व है। वाचन कौशल की जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक होती है। आज के इस प्रगतिशील और वैज्ञानिक युग में पढ़ना अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति में वाचन कौशल की योग्यता नहीं है वह संसार की विभिन्न संस्कृतियों की महानता एवं विशालता को नहीं समझ सकता। वाचन कौशल एक कला है। साथ ही यह ज्ञानार्जन की कुंजी है। वाचन कौशल के द्वारा व्यक्ति कठिन विषय को पढ़कर समझ लेता है तथा उसे लिखकर या मौखिक रूप से व्यक्त कर सकता है। नाटक, कहानी, जीवन-चरित्र, इतिहास, लेख, कविता आदि का आनंद व्यक्ति पढ़कर ही उठा सकता है। अच्छे वाचन कौशल के बिना न तो कोई अच्छा वक्ता बन सकता है न ही लेखक बन सकता है। वाचन कौशल ज्ञान प्राप्ति के साथ-साथ मनोरंजनका साधन भी है।

5.2.5 वाचन कौशल की विधियाँ

1. वर्णबोध विधि (Alphabetic Method)— इस विधि के अनुसार सबसे पहले बालकों को वर्णमाला के वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। पहले स्वरों का बाद में व्यंजनों का ज्ञान कराया जाता है। जब बालक वर्णों का भली-भाँति ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें शब्द बनाने सिखाये जाते हैं। उदाहरण के लिए—क,म,ल,= कमल, न,ट,ख,ट,=नटखट आदि। इस विधि में वर्णों का क्रम—बद्ध ज्ञान होता है। मात्राओं का पूर्ण ज्ञान, शुद्ध उच्चारण तथा वर्णों को मिलाकर शब्द पढ़ने का अभ्यास होता है।

2. ध्वनि साम्य विधि (Phonetic Method)— इस विधि में समान ध्वनि से उच्चरित शब्दों को एक साथ सिखाया जाता है। जैसे—राम, काम, शाम, दास, नाम, शाम, जाम, गर्म, नर्म, कर्म, धर्म, चर्म आदि। इस विधि में सभी वर्णों का सिखाना मुश्किल होता है।

3. देखो और कहो विधि (Look and Say Method)—यह शब्द विधि भी कहलाती है। इस विधि में शब्द से सम्बन्धित वस्तु या चित्र दिखाकर पहले शब्द का ज्ञान कराया जाता है। जैसे—आम का चित्र दिखाकर बालक से पूछा जाता है कि यह क्या है ? बालक चित्र को देखकर तथा उससे साहचर्य स्थापित कर शब्द को बोलने का अभ्यास कर लेते हैं। इस प्रकार बालक वाचन कला में निपुण हो जाते हैं।

4. वाक्य विधि (Drmyrmvr Method)—यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। इस विधि में पहले बच्चों के सम्मुख वाक्य प्रस्तुत किया जाता है। बालकों को पहले वाक्य का अभ्यास कराया जाता है फिर शब्द तथा बाद में वर्ण का। इस विधि में बालक स्वाभाविक क्रम में पढ़ना सीखता है। अतः इस विधि में पढ़ना सिखाने के लिए वाक्य शिक्षण विधि को ही आधार बनाना चाहिए।

5. कहानी विधि (Story Method)—वाचन शिक्षण की कहानी विधि एक महत्वपूर्ण विधि है। बालक कहानी में बहुत रुचि लेते हैं। इस विधि में वाक्यों को इस प्रकार सजाते हैं कि एक कहानी बन जाये। छोटी-छोटी कहानी चार्ट व चित्रों के माध्यम से बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाती है। शिक्षक कहानी के वाक्यों को श्यामपट पर लिखता है। शिक्षक उन्हें पढ़ता है। फिर छात्र इसका वाचन करते हैं। इस प्रकार वाक्य के विश्लेषण द्वारा शब्दों व वर्णों का ज्ञान होता जाता है। इस प्रकार बालक वाचन कला में निपुण हो जाते हैं।

6. साहचर्य/सम्पर्क विधि (Assocition Method)—इस विधि का प्रतिपादन मेरिया मान्टैसरी ने किया था। बालकों के परिचित चित्र तथा बोलने वाली वस्तुओं के चित्र एक कमरे में टांग दिये जाते हैं। सभी कार्डों को एक साथ मिला देते हैं। बालकों से

कहा जाता है कि जो कार्ड जिस चित्र या वस्तु से सम्बन्ध रखते हैं उन्हें निकाल कर उनके सामने पुनः रख दें। धीरे-धीरे चित्र, कार्ड एवं उच्चारण में साहचर्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार बालक को शब्दों व वर्णों का ज्ञान होता जाता है। इस प्रकार बालक खेल-खेल में वाचन करना सीख जाते हैं। इस विधि का प्रयोग केवल प्राथमिक कक्षाओं में ही किया जा सकता है।

7. वाचन अभ्यास –बालकों को वर्णों तथा मात्राओं का उचित ज्ञान होने पर उन्हें सस्वर वाचन का अभ्यास कराना चाहिए। छात्र शिक्षक के आदेश वाचन का अनुकरण कर सही वाचन करना सीख जाते हैं।

5.2.6 वाचन सम्बन्धी त्रुटियाँ (common errors in reading)

वाचन एक कला है। इस कौशल को विकसित करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। वाचन की सामान्य त्रुटियाँ निम्नलिखित हैं –

1. अशुद्ध उच्चारण करना तथा अटक-अटक कर पढ़ना।
2. वाचन में अनुसूचित गति का होना।
3. पुस्तक को आँखों के निकट या दूर रखकर पढ़ना।
4. झुक-कर पढ़ना।
5. पढ़ने में आरोह-अवरोह का न होना।
6. शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ न समझना।
7. बिना अर्थ समझे पढ़ना।

वाचन सम्बन्धी अशुद्धियों के कारण (Causes of common Errors in Reading)

वाचन सम्बन्धी अशुद्धियों के निम्नलिखित कारण हैं –

1. दृष्टि दोष
2. वाणी दोष
3. असावधानी
4. पाठ्य सामग्री में छपाई की त्रुटियाँ
5. शिक्षक का कठोर व्यवहार।
6. पाठ्य सामग्री का कठिन एवं अरुचिकर होना।
7. कक्षा का तनावपूर्ण वातावरण।
8. शिक्षक द्वारा मार्ग-दर्शन का अभाव।

5.2.7 वाचन सम्बन्धी दोषों का निवारण।

वाचन सम्बन्धी दोषों को निम्नलिखित विधियों से दूर किया जा सकता है –

1. दृष्टि तथा वाणी दोषों का उपचार करना।
2. ध्वनियों का पूर्ण ज्ञान तथा अभ्यास कराना।
3. बार-बार आवृत्ति तथा पुनरावृत्ति के द्वारा अभ्यास कराकर उच्चारण सम्बन्धी दोषों का निवारण किया जाए।
4. अशुद्ध बोलने वाले बालकों को शुद्ध बोलने वाले बालकों के साथ रखना। जिससे वह शुद्ध बोलना सीख जायें।
5. अस्पष्ट तथा शीघ्र गति से पढ़ने वाले बालकों के रुक-रुक कर धीरे-धीरे पढ़ने का अभ्यास कराना तथा स्पष्ट उच्चारण कराना।
6. पाठ्य पुस्तकों की शुद्ध छपाई होनी चाहिए।
7. वाचन सम्बन्धी उचित मार्ग-दर्शन किया जाये।
8. उपचारात्मक तथा निदानात्मक विधि से वाचन सम्बन्धी दोषों को दूर किया जा सकता है।
9. वाचन से पूर्व कठिन शब्दों की व्याख्या की जाये।
10. सावधानी से पढ़ने का अभ्यास कराया जाये।
11. कक्षा का वातावरण आकर्षक बनाया जाये।
12. पढ़ते समय ध्यान केन्द्रित रखा जाए।
13. शिक्षक का आदर्श वाचन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए।
14. छात्रों के अनुकरण वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाये।

5.3 पढ़ना (Reading)

5.3.1 पठन भाषा शिक्षण का एक प्रमुख अंग है। पठन का भाषा शिक्षण में अत्यधिक महत्व है। प्रारम्भिक कक्षाओं में पठन पर विशेष बल दिया जाता है। इसमें बालक लिखित या मुद्रित वर्णों, शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों को जोर से बोलकर या मन में पढ़कर उनका भाव ग्रहण करता है।

किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु, भाषा या चित्र को देखकर उसके भाव आशय का अर्थग्रहण करना पठन कहलाता है। इस प्रकार पठन लिपि-ध्वनि-अर्थबिम्बों के निर्माण की प्रक्रिया है।

“पठन लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित व सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की निधि से उनको सम्बन्धित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है।”

लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया को पठन कौशल कहा जाता है, जैसे-पुस्तकों को पढ़ना समाचार-पत्रों को पढ़ना आदि। भाषा के संदर्भ में पढ़ने का

अर्थ कुछ भिन्न होता है। भाव और विचारों को, लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति को पढ़कर समझना पठन कहा जाता है। लिखने का उद्देश्य होता है कि भाव और विचारों को हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। अन्य व्यक्ति जब उसको लिखित भाषा के रूप में पढ़ेगा तब उसके भाव एवं विचारों को समझ लेगा। इस क्रिया को पठन कहते हैं। किस सीमा तक कोई व्यक्ति उसके भाव एवं विचारों को समझता है यह उसकी एकाग्रता एवं ग्रहण शक्ति पर निर्भर होता है।

5.3.2 पाठन कौशल के कारक

लिखित भाव एवं विचारों को मौखिक या मौन रूप से पढ़कर बोधगम्य करने में निम्नांकित कारक होते हैं –

1. पाठन में दृश्य इन्द्रिय सामान्य तथा क्रियाशील होना।
2. लिखित भाषा लिपि का ज्ञान होना।
3. लिखित पाठ्य-सामग्री की शब्दावली का बोध एवं शुद्ध उच्चारण का अभ्यास होना।
4. पठन में तत्परता, एकाग्रता एवं रुचि का होना।
5. पठन में लिखित अभिव्यक्ति के साथ उसके अर्थ एवं भाव को समझने की क्षमता होना।
6. वाक्य विज्ञान, रूप विज्ञान एवं अर्थ विज्ञान का बोध होना।

5.3.3 पठन कौशल का विकास— कौशल का सम्बन्ध क्रियात्मक पक्ष के विकास से होता है। इसलिए भाषा कौशलों के विकास के लिए अभ्यास तथा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। छात्रों को पढ़ने के लिए अवसर दिये जाएं और उन्हें ऐसा साहित्य उपलब्ध कराया जाए जो उनकी रुचि के अनुकूल हों जैसे—छात्र कहानियों के अधिक रुचि लेते हैं, इसलिए उन्हें संदेशात्मक कहानियां पढ़ने का अवसर दिया जाए। पढ़ने का निरंतर अभ्यास कराया जाए, जिससे उनमें पठन की आदत का विकास हो जाए। पठन के अभ्यास का कार्य घर एवं विद्यालय दोनों से आरम्भ किया जा सकता है। छात्रों की अवस्थानुकूल विभिन्न स्तरों पर उनकी आवश्यकता एवं इच्छाओं के अनुकूल पठन के लिए अवसर दिये जाएं।

5.3.4 पठन कौशल के स्तर— शिक्षण में आरम्भवस्था से लेकर विकास काल तक पठन के कई रूप माने जाते हैं –

1. चित्र पठन
2. शब्द पठन

3. शाब्दिक पठन
4. चिन्तनात्मक पठन
5. सृजनात्मक पठन

चित्र पठन एवं शब्द पठन का स्तर प्रथम व द्वितीय कक्षाओं में होता है। शाब्दिक पठन कौशल का स्तर तीसरी व चौथी कक्षा में, चिन्तनात्मक पठन का स्तर कक्षा 4 से 8 तक और सृजनात्मक पठन का स्तर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में माना जाता है।

पठनारम्भ योग्यता के विकास के लिए आवश्यक है कि अध्यापक में भी इस हेतु अपेक्षित योग्यताएं हों। इन योग्यताओं के अभाव में अध्यापक छात्र में पठन के प्रति रूचि उत्पन्न नहीं कर सकता। छात्र में पठन के प्रति रूचि उत्पन्न करने के लिए पहली शर्त है – अध्यापक का व्यावहारिक होना अध्यापक बालक को सैद्धांतिक रूप से शिक्षित करने की अपेक्षा व्यावहारिक रूप से शिक्षित करें।

पठनारम्भ योग्यता के विकास हेतु अध्यापक कुशाग्र बृद्धि एवं व्यक्तिगत भिन्नता की जानकारी रखने वाला होना चाहिए ताकि वह छात्रों को विविध विधियों से पठन शिक्षण करा सके तथा कक्षा स्तर व बालक के मानसिक एवं शारीरिक स्तर को ध्यान में रखकर शिक्षण कराए। प्राथमिक विद्यालय के भाषा शिक्षक में इन योग्यताओं की अपेक्षा की जाती है।

5.4.1 लिखना कौशल (writing Skills)

लिखना भावों एवं विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। वह शब्दों को क्रम से लिपिबद्ध, सुव्यवस्थित करने की कला है। भावों एवं विचारों की यह कलात्मक अभिव्यक्ति जब लिखित रूप में होती है तब उसे लेखन अथवा लिखित रचना कहते हैं। अभिव्यक्ति की दृष्टि से लेखन तथा वाचन परस्पर पूरक होते हैं। वाचन से लेखन कठिन होता है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्व है जबकि वाचन में ध्वनि का महत्व होता है। उच्चारण की शुद्धता आवश्यक तत्व है और लेखन में अक्षरों का सुडौल होना और वर्तनी की शुद्धता होनी चाहिए।

लेखन की कला स्थायी साहित्य का अंश है। लेखन की विषयवस्तु साहित्य का क्षेत्र होता है और वाक्य लिखित भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। लेखन में सोचने तथा चिन्तन के लिए अधिक समय मिलता है जबकि वाचन में भावभिव्यक्ति का सतत् प्रवाह बना रहता है सोचने का समय नहीं रहता। मानव जीवन में लेखन तथा वाचन दोनों रूपों का महत्व है।

लेखन की अशुद्धियाँ पाठकों तथा आलोचकों की दृष्टियों से बच नहीं सकती जबकि वाचन में इतना ध्यान नहीं जाता है इस कारण लेखन में भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। शैली तथा विषय-सामग्री में भाषा व शैली के परिष्कार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। लेखन में भाषा, शैली तथा विषय-सामग्री आदि सभी दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए।

5.4.2 लेखन कौशल का महत्व

बोलने तथा पढ़ने की क्रिया से लेखन-क्रिया अधिक कठिन है। परन्तु मैडम माण्टेसरी इसे सरल मानती हैं तथा लिखना सिखाना भाषा-शिक्षण का प्रारम्भिक कार्य मानती है। उनका मानना है कि लिखने के साथ पढ़ना भी आ जाता है। लेखन कौशल का महत्व निम्नलिखित है –

1. लिपि के ज्ञान के बिना बालक न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकता है और ना ही विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकता है।
2. जब तक बालक को लिखना नहीं आ जाता तब तक उसका भाषा पर पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता।
3. लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से हम अपने विचारों को सुरक्षित रख सकते हैं तथा उन्हें दूसरों तक पहुँचा सकते हैं।
4. लिखित अभिव्यक्ति से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाया जा सकता है।
5. हमारी संस्कृति, रीति-रिवाज भाषा के लिखित रूप के कारण ही आगे आने वाली पीढ़ी तक हस्तान्तरित होती है।
6. लिखित भाषा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
7. बौद्धिक विकास के लिए लिखना सीखना परम आवश्यक है।
8. विचार करने तथा मनन करने के लिए लेखन ज्ञान विशेष सहायक होता है।
9. लिखित भाषा साहित्य भण्डार में वृद्धि करती है।
10. संसार में हो रहे नये ज्ञान, विज्ञान से परिचित कराने के लिए मुख्य साधन लिखित भाषा ही है।
11. व्यावसायिक व औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने तथा व्यावसायिक रिकार्ड लिखित भाषा में ही होते हैं।
12. स्वतंत्र लेखन से मानव जाति की सेवा तथा जीविकोपार्जन में भी सहायता

मिलती है।

13. बालकों में क्रियाशीलता का विकास होता है। उनकी प्रतिभा, अभ्यास, प्रेरणा तथा ज्ञान रुचि आदि का पता चलता है।
14. अतीत के इतिहास को समझने व उसका ज्ञान प्राप्त करने में लिखित भाषा ही सहायता करती है।
15. संसार के विभिन्न देशों में परस्पर सम्बन्ध लिखित भाषा के माध्यम से ही सम्भव होता है।

5.4.3 लिखित अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य

लिखित अभिव्यक्ति कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. छात्रों को लिपि, शब्द, मुहावरों आदि का ज्ञान कराना।
2. छात्रों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, तथा विराम चिन्हों आदि का ज्ञान कराना।
3. छात्रों को सुन्दर, स्पष्ट तथा सुडौल अक्षर लिखने में निपुण करना।
4. छात्रों में विषयानुसार भाषा-शैली और विचारों की तार्किक क्रम में अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना।
5. छात्रों के शब्द कोष में वृद्धि करना।
6. छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना।
7. छात्रों में बोध तथा तर्क शक्ति का विकास करना।
8. छात्रों के हाथ, मस्तिष्क, हृदय तथा नेत्र में समन्वय उत्पन्न करके इन्द्रिय शिक्षण करना।
9. छात्रों में स्वतः लेखन की क्रिया में रुचि उत्पन्न करना।
10. छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति आदर का भाव जागृत करना।
11. प्रसंगानुसार उचित शब्दों, मुहावरों, लोकोत्तियों, सूक्तियों का प्रयोग करना।
12. छात्रों को अनुलेख, प्रतिलेख तथा श्रुतिलेख लिखने में निपुण बनाना।

5.4.4 लेखन-शिक्षण प्रारम्भ करने का समय

लिखना कब सिखाया जाये इस सम्बन्ध में काफी मतभेद हैं। लिखने की चार अवस्थाएँ होती हैं। ये क्रमशः इस प्रकार हैं— लिखने की तैयारी, अक्षर रचना, शब्द व वाक्य रचना तथा अभ्यास एवं शुद्ध लिखना। लेखन शिक्षण के सम्बन्ध में शिक्षा

शास्त्री फ़ोवेल ने पढ़ने की क्रिया पहले तथा लिखने की क्रिया बाद में रखने का सुझाव दिया है। मेडम माण्टेसरी के अनुसार लिखना पहले तथा पढ़ना बाद में सिखाने का समर्थन किया है। बालक को पहले मौखिक भाषा पर अधिकार करना चाहिए। बालक को पहले वर्णों, प्रतीकों, चिन्हों आदि की पहचान होनी चाहिए। इससे उसे लिखने में सरलता हो जाती है। बालक की आयु, प्रतिभा, योग्यता तथा रुचि के अनुसार लिखना प्रारम्भ करना चाहिए। बालक का पाँच छः वर्ष में काफी विकास हो जाता है। अतः वह लिखना सीख सकता है। लिखना सिखाने से पूर्व बालक को कुछ रेखाओं को खींचने का अभ्यास होना चाहिए। बालक स्वतंत्र रूप से मनमाने ढंग से रेखाएं खींचे। इससे उनकी मांस पेशियाँ मजबूत हो जाती हैं और वह लिखना सीखने के लिए तैयार हो सकता है। हिन्दी शिक्षण में बालकों को पहले स्वर तथा बाद में व्यंजनों का लिखना सिखाना चाहिए।

5.4.5 लेखन शिक्षण विधियाँ

लेखन शिक्षण की महत्वपूर्ण विधियाँ निम्नलिखित हैं –

1. **रूपरेखा अनुकरण विधि**— इस विधि में शिक्षक स्लेट, कापी या श्यामपट पर चॉक या पेन्सिल से वर्ण लिख देता है। छात्र उन लिखे वर्णों या निशानों पर पेन्सिल या चाक फेरता है। जिससे शब्द या वाक्य उभर कर आ जाते हैं। इस प्रकार बालक वर्णों का लिखना सीख जाता है।
2. **अनुकरण विधि**— शिक्षक श्यामपट या कापी पर कुछ शब्द या वर्ण लिख देता है। अलग लिखे गये वर्णों या शब्दों को अनुकरण करके लिखता है।
3. **माण्टेसरी विधि**— इस विधि में सबसे पहले गत्ते या लकड़ी के बने अक्षरों पर हाथ फेरने को कहा जाता है। जब उनकी उंगलियाँ सध जाती हैं तब स्वतंत्र रूप से वर्ण लिखने को कहा जाता है। तब उन्हें कटे अक्षरों के बीच पेन्सिल चला कर अक्षर लिखना सिखाया जाता है। नीचे कागज रखकर खाली कटे हुए स्थानों पर पेन्सिल चलाने से नीचे के कागज पर वर्ण बन जायेंगे और वर्ण खिलने के लिए हाथ का अभ्यास भी बालक को हो जायेगा।
4. **जेकॉटॉट प्रणाली**— इस प्रणाली में बालकों के समक्ष पूरा वाक्य रखा जाता है। बालक अनुकरण के आधार पर एक-एक शब्द को लिखते हैं और मूल वाक्य से मिलाकर उसकी अशुद्धि का पता लगाकर उसे दूर करते हैं। अन्त में अध्यापक बालकों को स्मृति के आधार पर सम्पूर्ण वाक्य लिखने के लिए कहता है। छोटै बालकों के लिए यह विधि जटिल तथा कठिन होती है।

5. **पेस्टालाजी की रचनात्मक प्रणाली**— पेस्टालाजी की यह प्रणाली सरल से कठिन सूत्र पर आधारित है। इस प्रणाली में पहले अक्षर लिखना सिखाया जाता है। सबसे पहले अक्षरों की आकृति को भिन्न-भिन्न टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। फिर टुकड़ों के योग से उस अक्षर की रचना कराई जाती है।
6. **चित्रविधि**— इस प्रणाली में चित्रों की सहायता से शब्द और अक्षर सिखाये जाते हैं। वास्तव में लिपि का विकास चित्रों की सहायता से ही हुआ है। इस विधि की सहायता से खेल-खेल में बच्चों को वर्ण रचना सिखा दी जाती है। जैसे—स,म,त,ग,न वर्ण से सवार, मछली, तखती, गधा, नल आदि के चित्र बनाकर सिखाये जा सकते हैं। इसी प्रकार धीरे-धीरे अभ्यास होने पर बालक अन्य वर्णों को लिखना सीख जाते हैं।
7. **मनोवैज्ञानिक विधि**— लिखना सिखाने के लिए मनोवैज्ञानिक प्रणाली का विशेष महत्व है। मनोवैज्ञानिक प्रणाली में वर्णमाला के अक्षर तथा शब्द आदि सिखाने की अपेक्षा पूर्ण वाक्य बोलना तथा लिखना सिखाया जाये। बालक जब पूर्ण वाक्य बोलने लगे तथा उनकी कमेंन्द्रियाँ तथा ज्ञानेन्द्रियाँ मजबूत हो जाये तो उन्हें पढ़ने व लिखने के लिए तैयार करना चाहिए।

5.4.6 लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बातें

1. लिखना सिखाने के लिए बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। साथ ही यह भी देखना आवश्यक है कि उनकी उंगलियाँ तथा हाथ की मासपेशियाँ कलम पकड़ने के योग्य है या नहीं।
2. लिखने के लिए समय तथा उपयुक्त वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। कक्षा का वातावरण सुरुचि पूर्ण हो।
3. लिखना सीखने को तैयार होने पर उसे वर्णमाला के सभी अक्षरों को लिखना सिखाना चाहिए।
4. इसके पश्चात् शब्दों तथा वाक्यों का लिखना सिखाना चाहिए। जब बालक वर्णों की रचना सीख जायें, तब वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात् वाक्य लिखाना सिखाना चाहिए। बालकों को सुन्दर, सुडौल तथा स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए।
5. जब बच्चों को देखकर सुनकर सुन्दर लेख द्वारा शब्द व वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाये तो उन्हें अपने भावों व विचारों को तार्किक क्रम तथा व्याकरण सम्मत भाषा में व्यक्त करने का अभ्यास कराना चाहिए।

6. लिखते समय बालकों के बैठने का उचित ढंग हो। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। झुक कर लिखने की आदत न डाली जाये। कुर्सी पर बैठते समय बालक के पैर जमीन पर सीधे रहे। घुटने 90 का कोण बनाते हों।
7. लिखने की कापी आँखों से एक फुट की दूरी पर हो।
8. यदि तख्ती पर लिखना है तो वह चौरस व चिकनी हो। काली तख्ती पर खड़िया का प्रयोग होना चाहिए।
9. कलम पकड़ने का ढंग ठीक होना चाहिए। कलम अंगूठे व मध्य उंगली के बीच में हो तथा पहली उंगली कलम के ऊपर रहे। कलम को निव या पोजिन्ट से 1 इंच ऊपर से पकड़ना चाहिए।
10. हिन्दी में लिखने का क्रम बाएँ से दाएँ होना चाहिए।
11. बालकों को सर्वप्रथम उनका नाम लिखना सिखाया जाये ऐसा करने से बालक प्रसन्नता का अनुभव करता है।
12. बालकों के सामने सुलेख के नमूने प्रस्तुत करने चाहिए जिससे वे अपना लेख सुधार सकें।
13. बच्चों के सुन्दर लेख की प्रदर्शनी लगाई जाये।

अनुलेख—अनुलेख का तात्पर्य है जैसा लिखा है वैसा ही खिलना। अनुलेख के लिए कापियाँ होती हैं। इन कापियों में प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर पंक्ति में मोटे व सुन्दर ढंग से अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे होते हैं। उनके नीचे की रिक्त पंक्तियों में बालक लिखते हैं। बालक छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है।

प्रतिलिपि— सुलेख के लिए प्रतिलिपि का सहारा लिया जा सकता है। किसी छपी पुस्तक के गद्यांश या पद्यांश को देखकर हूँ-बहूँ नकल करने का प्रयास किया जाता है। प्रतिलिपि की सामग्री बच्चे के मानसिक स्तर व रुचि के अनुकूल हो।

श्रुतलेख—श्रुतलेख का तात्पर्य सुनकर लिखना है। अध्यापक बोलता जाता है और छात्र सुनकर बोली हुई सामग्री को लिखता जाता है। श्रुतलेख का उद्देश्य बालक की श्रवणेन्द्रियों को प्रशिक्षित करना है। श्रुतलेख में गलतियों का संशोधन छात्रों द्वारा कराया जाये तथा बाद में शिक्षक को करना चाहिए।

आजकल विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन/कोचिंग का महत्व बढ़ रहा है। लेखन कौशल द्वारा 100 शब्दों में अपने विचार लिखें।

.....

.....

.....

क्र०	कौशल शिक्षण	क्षेत्र	
		स्रोत	विधियाँ
1.	श्रवण कौशल शिक्षण	कान	प्रश्नोत्तर, सस्वर वाचन, भाषण, वाद-विवाद इत्यादि
2.	मौखिक अभिव्यक्ति कौशल शिक्षण	मुख	वार्तालाप, चित्र वर्णन, कहानी, कविता पाठ, सत्संग इत्यादि।
3.	पठन वाचन कौशल शिक्षण	पठनीय सामग्री जैसे-पुस्तक इत्यादि	वर्ण बोध विधि, ध्वनि साम्य विधि, वाक्य विधि, अनुकरण विधि इत्यादि।
4.	लिपि लेखन कौशल शिक्षण	कलम, बुश/चिन्ह	माण्टेसरी विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि, जेकायंट प्रणाली, चित्र विधि इत्यादि।

5.4.7 लेखन कौशल के दोष व सुझाव

शिक्षक को लेखन के दोषों का बोध होना आवश्यक है तभी वह इन दोषों का सुधार कर सकता है। प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं –

1. बालक लिखने में पंक्ति का ध्यान नहीं रखता है और अक्षर समान आकार के नहीं होते हैं। कोई एक ओर झुके रहते हैं, सीधे नहीं लिख पाता है।
2. सभी अक्षरों की ऊँचाई समान नहीं होती है।
3. अक्षरों का शुद्ध ज्ञान न होने पर कुछ भी लिख देता है।
4. अक्षरों को पूर्ण रूप से न लिखना शिरारेखा का स्थान-स्थान पर टूटा होना। एक शब्द के ऊपर एक ही रेखा न होना।
5. लेखन में एक ही लेखनी का प्रयोग न करने से कुछ पतले और कुछ मोटे अक्षर होते हैं।
6. शब्द को पूरा न लिखना, शब्द के अक्षर बिखरे होना।
7. प्रत्येक शब्द तथा अक्षर की स्याही-समान न होना। अक्षरों की स्याही का फीका होना।

5.4.8 लेखन हेतु सुझाव

लेखन शिक्ष के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। शिक्षक को उनका ध्यान रखना चाहिए –

1. छात्रों के बैठने का आसन समुचित होना चाहिए। झुककर लिखने की आदत न पड़े।
2. हिन्दी वर्तनी सम्बन्धी अशुद्धियों के सुधार हेतु अभ्यास कराया जाए।
3. लिखने तथा पढ़ने की क्रियाएं एक साथ होनी चाहिए।
4. अक्षरों तथा शब्दों के सुन्दर लिखने के लिए आदर्श प्रस्तुत किया जाये जिसका छात्र अनुकरण कर सकें।
5. लेखन एक कला है जिसका विकास अभ्यास तथा अनुकरण से किया जा सकता है।
6. लेखन क्रिया छात्रों की रुचि के शब्दों से आरम्भ की जानी चाहिए।
7. शब्दों और अक्षरों को धीरे-धीरे सुझौल तथा सुन्दर लिखने से आरम्भ करके लिखने की गति का भी विकास किया जाए।
8. शब्दों एवं अक्षरों की एकरूपता गति से लिखने में मुख्य विशेषताओं का ध्यान रखा जाये।

अपनी प्रगति की जाँच करें।

नोट –

- (अ) अपना उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये रिक्त स्थान में लिखिए।
 - (ब) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से कीजिए।
- (1) भाषा विकास के कौन-कौन से कौशल हैं ?
.....
.....

- (2) कहानी कहने के मुख्य तत्व कितने होते हैं।
.....
.....

6. अनुवाद उपागम (Translation Approach)

अनुवाद भाषा शिक्षण की विधियों में से एक महत्वपूर्ण विधि है। किसी भी भाषा में व्यक्त किये गये विचारों एवं भावों को किसी अन्य भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया को 'अनुवाद', 'भाषान्त' अथवा रूपांतरण कहा जाता है। भाषा-रचना में जितना महत्व मौलिक रचना का होता है उतना ही महत्व अनुवाद की गई रचना का भी होता है। भाषा से सम्बन्धित क्षेत्रों में अनुवाद का बहुत महत्व है। अनुवाद भाषा के साहित्य को विकसित करने में पूर्णरूप से सहायक है। इस विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और इन सभी भाषाओं का अपना-अपना साहित्य है और प्रत्येक साहित्य की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं।

अनुवाद शिक्षण विधि सबसे प्राचीन विधि मानी जाती है। किसी भाषा में लिखित अथवा बोल हुए भावों एवं विचारों को किसी दूसरी भाषा में लिखने अथवा बोलने की प्रक्रिया को अनुवाद या भाषा अनुवाद कहते हैं।

6.1 अनुवाद उपागम के उद्देश्य – विद्यालयों में साधारणतः द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोग किया जाता है। मातृभाषा के आधार पर अँगरेजी भाषा को सिखाया जाता है। जिस प्रकार मातृभाषा की अभिव्यक्ति में सक्षम होता है उसी प्रकार दूसरी भाषा में निपुण बनाने का प्रयास किया जाता है। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्यों का दोनों रूपों में अलग अलग वर्णन दिया गया है –

1. द्वितीय भाषा की लिपि, शब्दावली तथा वर्तनी का बोध करना।
 2. द्वितीय भाषा के व्याकरण नियमों एवं अधिनियमों का बोध करना।
 3. द्वितीय भाषा के वाक्य रचना, ध्वनियों, उच्चारण तथा शैली का बोध करना।
 4. दोनों भाषाओं के तत्त्वों का उपयोग समानान्तर रूप में करना।
 5. द्वितीय भाषा के कौशलों का विकास करना।
 6. मातृभाषा की अभिव्यक्ति को द्वितीय भाषा में अभिव्यक्ति करना।
 7. द्वितीय भाषा के साहित्य को मातृभाषा में लिखने के लिए प्रेरणा देना।
 8. अन्य भाषाओं के सीखने की रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना।
 9. अन्य देशों की संस्कृति, आर्थिक विकास एवं तकनीकी विकास के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
 10. छात्रों में राष्ट्रीय भावना एवं अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना।
- अँगरेजी विश्व के अवलोकन से खिड़की मानी जाती है।

6.2 अनुवाद उपागम प्रक्रिया के प्रकार – साधारणतः अनुवाद तीन प्रकार से किया जाता है –

(1) शब्दानुवाद (2) भावनानुवाद (3) भाव व शैली अथवा कहावतानुवाद, इन रूपों का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है।

(1) शब्दानुवाद (Literal Translation)— जैसा कि नाम से प्रकट होता है कि एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्द में लिखते हैं। परन्तु वाक्य की रचना के कारण अनुवाद का रूप बदल जाता है, क्योंकि प्रत्येक भाषा की वाक्य रचना पृथक् होती है। हिन्दी की वाक्य रचना में कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है। जबकि अंग्रेजी में वाक्य रचना में कर्ता, क्रिया तथा कर्म का क्रम होता है। शब्दानुवाद करते समय बिल्कुल शब्दशः अनुवाद नहीं किया जाता है अपितु परिस्थिति के अनुसार वाक्य में दूसरी भाषा का संगत शब्द प्रयुक्त किया जाता है। शब्दानुवाद इसलिए अधिक उपयुक्त नहीं है, क्योंकि संगत शब्द के लिए भाव देखना होगा। भाषा का मुख्य लक्ष्य होता है “भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करना” शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं होती है। शब्द अभिव्यक्ति का साधन अथवा सूचक होता है।

(2) भावानुवाद (Drmdr Translation)— इस अनुवाद के नाम से स्पष्ट होता है कि एक भाषा में जिन भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति की गई है, दूसरी भाषा में उन्हीं भावों तथा विचारों की अभिव्यक्ति की जाए। इसके अंतर्गत मूल रचना के भावों तो बोधगम्य हो जाते हैं, परन्तु भाषा के अन्य तत्वों—शैली, वाक्य रचना, शब्दावली तथा ध्वनियों आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे भावार्थ भी कहा जा सकता है। इस प्रकार के अनुवाद की अपनी सीमाएं हैं, अनुवाद शिक्षण की दृष्टि से यह प्रकार भी उचित नहीं है।

(3) कहावतानुवाद (Ifiomatic Translation)— इस प्रकार के अनुवाद में भाव तथा अभिव्यक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। द्वितीय भाषा में अनुवाद करते समय मूल रचना के भाव और उसकी शैली को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त किया जाए। इसके लिए उसे भाषा की कहावतों की सहायता ली जाती है जिससे भावों की अभिव्यक्ति रूप में की जाती है।

6.3 अनुवाद उपागम की विधियाँ —

(1) पुस्तक विधि— इस विधि के अंतर्गत अनुवाद पुस्तकें होती हैं जिनमें व्याकरण के अनुसार सरल वाक्यों के जटिल वाक्यों का क्रम दिया जाता है। पहले सरल वाक्यों के अनुवाद को दिया जाता है इसके बाद जटिल तथा मिश्रित वाक्यों का अनुवाद दिया जाता है। जब छात्र यह प्रक्रिया सीख लेते हैं तब उन्हें किसी खण्ड

को अनुवाद के लिए दिया जाता है और अभ्यास का अवसर दिया जाता है इस विधि में तार्किक चिन्तन की आवश्यकतानुसार होती है इसलिए छात्र कम रुचि लेते हैं।

(2) आगमन-निगमन विधि- शिक्षण की यह विधि अधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। इसमें दो विधियों को सम्मिलित किया गया है। साधारणतः दोनों विधियों का उपयोग साथ-साथ किया जाता है।

निगमन विधि में पहले नियम देकर उदाहरण दिये जाते हैं। इसे नियम-उदाहरण विधि भी कहते हैं।

आगमन विधि में पहले उदाहरण दिये जाते हैं जिनसे नियमों को सिखाया जाता है। इसे उदाहरण नियम विधि भी कहते हैं।

इस विधि के मुख्य चार तत्व होते हैं - उदाहरण अवलोकन नियम तथा उपयोग तथा दूसरा क्रम नियम-अवलोकन उदाहरण तथा उपयोग होता है। इसमें उदाहरणों का अभ्यास कराया जाता है।

हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद सीखने के लिए पहले हिन्दी वाक्यों को एक-एक काल (Tense) के उदाहरण देकर अभ्यास कराया जाता है और उदाहरणों से नियमों को सिखाया जाता है। इस प्रकार यह विधि अधिक उपयोगी तथा व्यावहारिक है।

(3) दुभाषिया विधि- जब एक राष्ट्र का अध्यक्ष दूसरे राष्ट्र में भाषण अपनी भाषा में करता है तब दुभाषिया की आवश्यकता होती है। जो दोनों राष्ट्र की भाषाओं को जानता है। दुभाषिया साथ-साथ दूसरी भाषा में बोलता जाता है, इसे अनुवाद (Translator) भी कहते हैं। विश्व के राष्ट्रों के सम्पर्क के लिए दुभाषिया विधि का उपयोग किया जाता है।

छात्रों को मातृभाषा के अतिरिक्त द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक को दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि उसे दुभाषियों की भूमिका निर्वाह करना होता है। केवल अंग्रेजी जानने वाले हिन्दी भाषी छात्रों को अंग्रेजी नहीं सिखा सकता। द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए यह विधि अधिक उपयोगी होती है। हिन्दी भाषी छात्रों को जर्मनी, रूसी, पोलिश, पंजाबी, कन्नड़ आदि भाषा को सिखने के लिए दुभाषिया शिक्षक अधिक प्रभावशाली होते हैं क्योंकि भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के लिए दोनों भाषाओं का ज्ञान-बोध एवं कौशल होना चाहिए।

(4) तुलना एवं अनुकरण विधि- जब द्वितीय भाषा सिखाने का प्रयास किया जाता है तब छात्र अपनी भाषा तथा द्वितीय भाषा में तुलना करता है और विश्लेषण करके समानताओं और विषयमताओं को पहचानने का प्रयास करता है। उदाहरणों का

अवलोकन करके नियमों को निकालता है। उन नियमों का द्वितीय भाषा में अनुवाद करके में अनुकरण करता है। यह अनुवाद विधि छात्र केन्द्रित है तथा मनोवैज्ञानिक है। परन्तु इस विधि में समय अधिक लगता है और सभी छात्रों के शिक्षण में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है।

6.4 अनुवाद उपागम हेतु सुझाव एवं सावधानियाँ— अनुवाद विधि का उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियाँ रखनी चाहिए तभी इसका उपयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है।

1. अनुवाद करते समय शब्दशः अनुवाद नहीं करना चाहिए। अनुवाद करते समय जिस भाषा में अनुवाद किया जाए, उसकी वाक्य रचना का ध्यान रखा जाए। अनुवादक को भाषा सम्बन्धी तीन नियमों का पालन करना आवश्यक है — भाव की रक्षा, शैली की रक्षा और सरलता एवं सुबोधता। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुदित रचना में अनुवाद किए जाने वाले अंश का भाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। अनुवाद उसी शैली में किया जाए जिसमें मूल रचना हो। अनुवाद इतना सरल और सुबोध होना चाहिए कि पढ़ते ही पाठक लेखक के भाव को समझ जाए।
2. अनुवाद करते समय यह आवश्यक नहीं कि जटिल वाक्यों का अनुवाद ज्यों का त्यों किया जाए। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तोड़ा जा सकता है, पर भाषा अनुवाद सम्बन्धी तीनों नियमों का पालन करना प्रत्येक दशा में आवश्यक होता है।
3. अनुवाद का अनुवाद नहीं करना चाहिए। लाख प्रयत्न करने पर भी अनुवादित रचना मूल रचना से कुछ भिन्न हो ही जाती है। अनुवाद का अनुवाद करने से यह भिन्नता इतनी बढ़ सकती है कि मूल रचना के भाव अनुदित रचना में देखने को ही न मिले।
4. मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा की शिक्षा आरम्भ होते ही अनुवाद की शिक्षा का कार्य आरम्भ हो जाना चाहिए। उ०प्र० में यह कार्य कक्षा 6 से प्रारंभ किया जा सकता है।
5. लेखांश एवं लेखों का अनुवाद तभी कराया जाए जब बच्चों को दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान हो जाए, वे उनकी वाक्य रचना से पूर्ण परिचित हो जाए और उनका सक्रिय शब्द एवं सूक्ति भण्डार विस्तृत हो जाए। उ०प्र० में यह कार्य कक्षा 9 से प्रारंभ किया जा सकता है।
6. अनुवाद उस भाषा में करना सरल होता है जिसका छात्रों को अधिक ज्ञान

होता है। इस दृष्टि से छात्रों को पहले दूसरी भाषा से अपनी मातृभाषा में अनुवाद कराना चाहिए और फिर अपनी भाषा से दूसरी भाषा में।

7. पहले छात्रों के सामने दूसरी भाषाओं की मूल रचनाएं और उनकी भाषा में उनकी अनुदित रचनाएं सामने रखनी चाहिए, फिर उनकी मातृभाषा की मूल रचनाएं और उनके अनुवाद इस प्रकार छात्र दोनों की तुलना करने से अनुवाद की क्रिया के लिए अपने आपको तैयार कर सकेंगे।

विद्यार्थियों आप अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद का अभ्यास करके दिखाओ।

1. Ram is a good boy -----
2. Ram is not a bad boy -----
3. It is raining -----
4. It is not raining -----
5. This car is red -----

7. गलतियों का विश्लेषण (Error Analysis)

भाषा के प्रयोग में प्रायः निम्नलिखित 4 प्रकार की गलतियाँ पाई जाती हैं –

- (1) स्पष्ट उच्चारण-सम्बन्धी दोष (Direct of Articulation) जैसे हकलाना (Stuttering or stammering)
- (2) बोलने की शक्ति का लोप-जन्मजात बहरेपन के कारण इस शक्ति का लुप्त हो जाना।
- (3) वाणी सम्बन्धी दोष- इसमें व्यक्ति ध्वनियाँ तो उत्पन्न कर लेता है, परन्तु भाषा के बोलने और समझने में वह असमर्थ होता है। जब मस्तिष्क सम्बन्धी केन्द्र में कोई दोष हो जाता है, तभी यह दोष आता है।
- (4) मानसिक दोष के कारण उत्पन्न दोष- व्यक्ति के अवयव भी दोषपूर्ण न हो, बहरा भी न हो, तब भी व्यक्ति कुछ मानसिक दोषों के कारण बोल नहीं पाता। उसमें उच्चारण-सम्बन्धी बहुत दोष होते हैं। बालकपन में ऐसा व्यक्ति बहुत देर से बोलना सीखता है।

इस प्रकार मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक तथा सामाजिक रूप की गलतियों प्रमुख रूप से पाई जाती हैं।

7.2 भाषा-दोष का विश्लेषण

निम्नलिखित बातों से व्यक्ति के भाषा-दोष का विश्लेषण किया सकता है –

1. किसी प्रकार की ध्वनि को सुनने में समर्थ होना।
2. बोले हुए शब्दों को सुनने में समर्थ होना।
3. बोल शब्दों को समझ सकना।
4. वस्तुओं को देखने में समर्थ होना।
5. छपे हुए या लिखे हुए शब्दों को देखने योग्य होना।
6. छपे हुए या लिखित शब्दों का समझने योग्य होना।
7. स्वतः बोलने योग्य होना।
8. शब्दों को दोहराने योग्य होना।
9. उच्च स्वर में बोलने की सामर्थ्य होना।
10. स्वतः लिख सकना।
11. आलेख (Dictation) लिखने योग्य होना।
12. नकल (Copy) करने योग्य होना।

7.3 गलतियों का विश्लेषण

1. शारीरिक कारण (Physical Factors)— शारीरिक कारणों में नेत्र दोष, हकलाना, तुतलान, कम सुनना, बीमारी आदि के कारण भी सुचारु रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते।
2. वंशानुक्रम (Heredity)— कुछ लोग वंशानुक्रम से ही मन्दबुद्धि होने के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस कारण उनमें पिछड़ापन रहता है।
3. मानसिक कारण (Mental Causes) मानसिक कारणों से भी बुद्धि-लब्धि सामान्य से बहुत कम होती है इसलिये वे सुचारु रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। बर्ट (Burt) के अनुसार, “कम बुद्धि ही पिछड़ेपन का एकमात्र कारण हो सकती है।” उसने जितने पिछड़े बालकों का अध्ययन किया उनमें से 95 प्रतिशत की बुद्धि से निम्न थी।
4. संवेगात्मक कारण (Emotional Causes)—जिन में क्रोध, चिन्ता, व्याकुलता, तनाव, उदासीनता, सुस्ती आदि के कारण पिछड़ापन आ जाता है।

5. रुचि का अभाव (Lack of Interest)—कभी—कभी पाठ्यक्रम के विषयों में रुचि न होने के कारण भी बालक कक्षा में पिछड़ जाता है। वह बार—बार असफल होता रहता है। रुचि के अभाव में बालक किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकता है।
6. माता—पिता की अशिक्षा (Illiteracy of parents)—अशिक्षित माता—पिता शिक्षा के महत्व को नहीं समझते हैं तथा शिक्षा को बालकों के लिए बेकार समझते हैं। कुप्पूस्वामी के अनुसार, “ऐसे माता—पिता के बच्चों में न केवल शैक्षिक गलतियों का विकास होता है वरन् वे शीघ्र ही निरक्षर हो जाते हैं।”
7. माता पिता का दृष्टिकोण (Outlook of parents)—कुछ माता पिता अपने बच्चों के प्रति आवश्यकता से अधिक कठोर तथा कुछ बहुत लाड़—प्यार करने वाले होते हैं। इस कारण बच्चों में स्वतंत्रता तथा आत्म विश्वास जैसे गुणों का विकास नहीं होता। इन गुणों के अभाव में शिक्षा की किसी प्रकार की प्रगति करना असम्भव है। अतः उनसे गलतियाँ निरंतर होती रहती हैं।
8. माता—पिता की बुरी आदतें (Bad Habit of parents)—कुछ माता पिता में आलस्य, कामचोरी, लापरवाही जैसी बुरी आदतें होती हैं। बुरी आदतों का बच्चों पर काफी प्रभाव पड़ता है। इस कारण वे विद्यालय कार्य में लापरवाही बरते हैं तथा पढ़ने से जी चुराते हैं और कक्षा—कार्य में भी गलतियाँ करते हैं।
9. विद्यालय में अनुपस्थिति (Family Environment)—कुछ बालक विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं रहते। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे—बीमारी, पिता का तबादला, विद्यालय में देर से प्रवेश, अनुपस्थित रहने के कारण विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली बातों में वे पिछड़े होने से गलती करते हैं।
10. परिवार का वातावरण (Family Environment)—यदि परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक पिछड़ तो है। परिवार का बड़ आकर आर्थिक संकट, पढ़ने—लिखने की सुविधा का न होना, घर में माँ—बाप में लड़ाई, कठोर अनुशासन, अधिक लाड़—प्यार, आपस में कलह, मारपीट, असन्तुलित भोजन आदि बच्चे के पिछड़ेपन के कारण है।
11. विद्यालय का वातावरण (School Environment)—विद्यालय की परिस्थितियाँ भी बालक के पिछड़ेपन को बढ़ा देती हैं। विद्यालय के दोषपूर्ण वातावरण में भी गलतियाँ होती हैं।
12. सामाजिक कारण (Social Causes)—सामाजिक कारणों को बालक की प्रगति व अवनति पर काफी प्रभाव पड़ता है। अवांछनीय बालकों के साथ रहने सहने से बालक की प्रगति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसकी रुचि पढ़ने में समाप्त हो जाती

है। बुरे मित्र व पड़ोसियों के प्रभाव के कारण भी बालक पढ़ने-लिखने में पिछड़ जाता है और गलतियाँ करता रहता है।

7.4 सुधार हेतु विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता है –

1. विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना (Establishment of Special Schools) विशिष्ट विद्यालयों में बालकों को अपनी कमियों का कम ज्ञान होगा और वे अपने समान बालकों के समूह में अधिक सुरक्षा का अनुभव करेंगे। उन्हें इन विद्यालयों में अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। यदि ये विद्यालय आवासीय (Residential) हों तो इन बालकों को अधिक लाभ मिलेगा। तब ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इन बालकों का सामान्य बालकों से एकदम अलगाव ठीक नहीं है। उन्हें उनके साथ अन्य क्रिया-कलापों में भाग लेने देना चाहिए।
2. छोटे समूहों में शिक्षा (Education in Small Groups) बालकों पर शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान दिया जाना चाहिए। यह तभी हो सकता है कि जब उन्हें छोटे समूहों में शिक्षा दी जाये। अतः एक कक्षा में 70 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। शारीरिक दोष हो तो बालकों की संख्या 70 से कम होनी चाहिए।
3. व्यक्तिगत ध्यान (Individual Affention)– बालकों की ओर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इन बालकों में हीन भावना भी विकसित हो जाती है जिसके कारण ये बालक अध्यापक के पास जाने में झिझकते हैं अतः इनकी तरफ व्यक्तिगत ध्यान देना आवश्यक है।
4. उपयुक्त विषयों के चयन निर्देशन (Guidance in selecting appropriate subjects) बालकों की रुचि एवं क्षमता के अनुकूल उन्हें उपयुक्त विषयों के चयन का निर्देशन देना चाहिए तभी वे आगे उन्नति कर सकते हैं। उनके अध्ययन के विषय न तो अमूर्त होने चाहिए और न उनमें सिद्धान्तों एवं सामान्य नियमों की अधिकता होनी चाहिए।
5. अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति (Appointment of good Teachers) बालकों को शिक्षा देने के लिए अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। अध्यापक का योग्य होना तथा उसका उचित व्यवहार पिछड़े बालकों की शिक्षा में विशेष महत्व रखता है। इसके लिए अध्यापक का प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उन्हें निदानात्मक परीक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें छात्रों के निकट सम्पर्क में रहना चाहिए। साथ ही उनका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।

6. विशेष पाठ्यक्रम का निर्माता (Special curriculum)— प्रायः यह देख जाता है कि बालक पाठ्यक्रम के अनुपयुक्त होने के कारण बार—बार फेल हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। उनका पाठ्यक्रम सामान्य बालकों से कम बोझिल तथा कम विस्तृत होना चाहिए। साथ ही पाठ्यक्रम उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित होना चाहिए। सम्पूर्ण पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे पिछड़ा बालक आगे चलकर कोई न कोई व्यवसाय चुन सके। उनके पाठ्यक्रम में हस्तलिपि जैस—काष्ठकला, धातु शिल्प, गृह शिल्प, पुस्तक शिल्प, कढ़ाई, बुनाई, टोकरी, बनाना, चमड़े का काम आदि सम्मिलित होने चाहिए।

7.5 गलतियों के सुधार हेतु निम्नलिखित शिक्षण विधि का प्रयोग।

1. उन्हें धीमी गति से पढ़ाना चाहिए।
2. सरल व रोचक विधियाँ अपनाई जायें।
3. शिक्षण में विभिन्न शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाये।
4. शारीरिक क्रियाओं कराई जायें।
5. कम से कम मौखिक शिक्षण किया जाये।
6. प्रयोगात्मक कार्य कराये जायें।
7. पढ़ाये गये पाठ की बार—बार पुनरावृत्ति की जाये।
8. पर्यटन, भ्रमण तथा नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये।
9. उनकी कमजोरी को देखकर ही गृहकार्य दिया जाये।
10. ऐसे बालकों को माता—पिता का सहयोग, आर्थिक सहायता, अभिप्रेरणा तथा आत्मविश्वास बढ़ाना तथा स्वास्थ्य की परीक्षा कराते रहना चाहिए।

7.6 गलतियों के करने संबंधी कारण—

1. आनुवंशिकता।
2. पर्यावरण तथा परिस्थिति
3. विद्यालय तथा शिक्षण की कमी
4. शिक्षण विधि का दोषपूर्ण होना।
5. दोषपूर्ण पाठ्यक्रम
6. शारीरिक विकार एवं रोग।

7. मस्तिष्क रोग या चोट।
8. नेतागिरी एवं दलबन्दी।
9. भावात्मक असन्तुलन।
10. अर्पित प्रभाव।
11. निर्देशन का अभाव।

अपनी प्रगति की जाँच करें।

नोट —

- (अ) अपना उत्तर प्रश्न के नीचे दिये गये रिक्त स्थान में लिखिए।
- (ब) अपने उत्तर की जाँच इकाई के अन्त में दिये गये उत्तर से कीजिए।
- (3) अनुवाद उपागम के प्रकार लिखिए ?

.....

.....

- (2) गलतियाँ होने संबंधी कारण लिखिए ?

.....

.....

इकाई सारांश

इकाई नं०-2 भाषा विकास की युक्तियों से संबंधित है। जिसमें द्विभाषावाद, बहुभाषावाद एवं मौखिक भाषा को प्राथमिकता दी गई है।

- भाषा के कौशलों सुनना, पढ़ना, लिखना एवं बोलना भाषा विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गम्भीरता से विचार किया गया है।
- कहानी सुनाना एक प्रभावपूर्ण कौशल है, जिसके माध्यम से बालकों में कठिन से कठिन योग्यताओं का विकास हो जाता है।
- अन्त में अनुवाद उपागम और विभिन्न कौशलों में बालकों से हुई गलतियों का विश्लेषण किया गया है।

दीर्घ एवं लघु प्रश्न

- (1) मौखिक भाषा उपयोग की विशेषताएं एवं उद्देश्य लिखिए।
- (2) कहानी कहने की सफलता के आवश्यक तत्व लिखिए।
- (3) श्रवण कौशल की कौन-कौन सी विधियाँ हैं।
- (4) पाठन कौशल के कारक लिखिए।

लघु प्रश्न

- (1) पठन कौशल के स्तर लिखिए।
- (2) लेखन शिक्षण विधियाँ कौन-कौन सी हैं।

इकाई के उत्तरों की जाँच कीजिए

- (1) भाषा विकास के चार कौशल हैं।
सुनना
बोलना,
लिखना
पढ़ना।
- (2) कहानी के छः तत्व होते हैं।
कथा वस्तु
पात्र एवं चरित्र चित्रण
कथोपकथन
भाषा शैली
देशकाल
उद्देश्य
- (3) अनुवाद के तीन प्रकार हैं।
शब्दानुवाद
भावानुवाद
भाव व शैली अथवा कहावतानुवाद
- (4) गलतियों के निम्न कारण हैं।
 1. उन्हें धीमी गति से पढ़ाना चाहिए।
 2. सरल व रोचक विधियाँ अपनाई जायें।
 3. शिक्षण में विभिन्न शिक्षा सामग्री का प्रयोग किया जाये।

4. शारीरिक क्रियाओं कराई जायें।
5. कम से कम मौखिक शिक्षण किया जाये।
6. प्रयोगात्मक कार्य कराये जायें।
7. पढ़ाये गये पाठ की बार-बार पुनरावृत्ति की जाये।
8. पर्यटन, भ्रमण तथा नैतिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाये।
9. उनकी कमजोरी को देखकर ही गृहकार्य दिया जाये।
10. ऐसे बालकों को माता-पिता का सहयोग, आर्थिक सहायता, अभिप्रेरणा तथा आत्मविश्वास बढ़ाना तथा स्वास्थ्य की परीक्षा कराते रहना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. शर्मा गंगाराम, भारद्वाज सुधीर कुमार, हिन्दी भाषा शिक्षण, संस्करण 2005, एच0पी0 भार्गव, बुक हाउस आगरा, उ0प्र0।
2. ओझा पी0के0, हिन्दी शिक्षण संस्करण 2006, अनमोल पब्लिकेशन, प्रा0लि0 नई दिल्ली।
3. शर्मा एन0आर0, शुक्ला ग्रीस्मा एवं त्रिपाठी सुश्री अलका, हिन्दी मातृ-भाषा/ भाषा शिक्षण, संस्करण 2008, साहित्य चन्द्रिका प्रकाशन, जयपुर।
4. यादव सियाराम, पाठ्यक्रम एवं भाषा, संस्करण 2016, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
5. चतुर्वेदी डॉ0 शिखा, हिन्दी शिक्षण, संस्करण 2015, प्रकाशन आर लाल बुक डिपो मेरठ।
6. पाण्डेय डॉ0 रामशकल, हिन्दी शिक्षण, संस्करण 2006, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
7. सक्सेना एन0आर0 स्वरूप, शिक्षा के दार्शनिक एवं समाज शास्त्री सिद्धांत, प्रकाशन आर लाल बुक डिपो मेरठ।
8. मित्तल प्रो0 एम एल एवं डॉ0 शिवेन्द्र चंद्र, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षा
9. श्रीवास्तव कु0 पुष्पा, मानक हिन्दी का शिक्षण उपागम एवं उपलब्धियों खण्ड –एक सैद्धान्तिक उपागम, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा
10. सिंह सूरजभान, मानक हिन्दी का शिक्षण उपागम एवं उपलब्धियों खण्ड

—दो शिक्षण एवं प्रविधि, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

11. शर्मा के०के० एवं सचदेवा एम एस, शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक एवं आर्थिक आधार, ट्वन्टी फ़स्ट सेनचुरी पब्लिकेशन पटियाला,
12. प्रसाद डॉ० वासुदेवनन्दन, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारतीय भवन (पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स) ठाकुरबाड़ी रोड, कदमकुआँ, पटना।
13. जीत भाई योगेन्द्र, हिन्दी भाषा शिक्षण, श्री विनोद पुस्तक मंदिर आगरा।
14. सूद विजय, हिन्दी शिक्षण विधियाँ, टंडन पब्लिकेशन्स, लुधियाना।

डॉ० चंदा मोदी, सहायक प्राध्यापक,
विक्टोरिया कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन, भोपाल
मो० 9406533169
दूरभाष, निवास— 0755—2701801